उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा की कार्य परिषद की पंद्रहवीं बैठक दिनांक 25.04.2026 का कार्यवृत्त

उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा अधिनियम–2015 की धारा–21(1) के अनुसार विश्वविद्यालय की कार्य परिषद में निम्नांकित सदस्य नामित हैं:–

(क) कुलपति, जो उसका अध्यक्ष होगा	(1)	**पदेन**– कुलपति, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा
(ख) प्रति–कुलपति, यदि कोई हो	(2)	**पदेन**– प्रति–कुलपति, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा
(ग) संकायों के अध्यक्ष	(3)	**पदेन**– संकायाध्यक्ष (चिकित्सा संकाय), उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा
	(4)	**पदेन**– संकायाध्यक्ष (नर्सिंग संकाय), उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा
	(5)	**पदेन**– संकायाध्यक्ष (पैरामेडिकल विज्ञान संकाय), उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा
	(6)	**पदेन**– संकायाध्यक्ष (फार्मेसी संकाय), उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा
	(7)	**पदेन**– संकायाध्यक्ष (दंत विज्ञान संकाय), उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा
(घ) विश्वविद्यालय के दो ज्येष्ठतम आचार्य (संकायाध्यक्षों से भिन्न)	(8)	डॉ0 राजेश कुमार वर्मा, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, माइक्रोबायोलॉजी विभाग।
	(9)	डॉ0 शैलेन्द्र पाल सिंह, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, जनरल सर्जरी विभाग।
(ङ) कुलाधिपति द्वारा नाम–निर्दिष्ट चिकित्सा व्यवसाय से राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा के विख्यात तीन व्यक्ति	(10)	डॉ0 संजय काला, प्रोफेसर–सर्जरी एवं प्राचार्य, गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक चिकित्सा महाविद्यालय, कानपुर
	(11)	डॉ0 राजेश कश्यप, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, हिमेटोलॉजी विभाग, एस0जी0पी0जी0आई0एम0एस0, लखनऊ
	(12)	डॉ0 एस0 एन0 शंखवार, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, यूरोलॉजी विभाग, के0जी0एम0यू0, लखनऊ
(च) महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0	(13)	**पदेन**
(छ) कुलाधिपति द्वारा नाम निर्दिष्ट किसी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय का प्रधानाचार्य	(14)	डॉ0 प्रशान्त गुप्ता, प्रधानाचार्य, सरोजनी नायडू मेडिकल कालेज, आगरा।
(ज) निदेशक, संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ	(15)	**पदेन**
(झ) निदेशक, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली अथवा किसी बैठक में सम्मिलित होने के लिए उसके द्वारा नामित उस संस्थान का एक आचार्य	(16)	**पदेन**
(ञ) कुलपति, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय अथवा नामित व्यक्ति	(17)	**पदेन**
धारा 22–(9) सचिव–कार्य परिषद कुलसचिव, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा	(18)	**पदेन**– कुलसचिव, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा

उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा की पंद्रहवीं बैठक दिनांक 25.04.2026 पूर्वान्ह 11.00 बजे से कुलपति, उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा/अध्यक्ष–कार्य परिषद की अध्यक्षता में आयोजित करने के संबंध में कार्य परिषद के समस्त सदस्यों को पत्र प्रेषित किया गया।

दीपक वर्मा
कुलसचिव

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति

दिनांक 25.04.2026 को कार्य परिषद की बैठक में निम्नांकित सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया:–

(1)	प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह, कुलपति, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा	–	अध्यक्ष
(2)	डॉ0 रमाकान्त यादव, प्रति–कुलपति, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा	–	सदस्य
(3)	डॉ0 आलोक कुमार, अपर निदेशक, कार्यालय महानिदेशक (प्रतिनिधि महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0) (ऑनलाइन प्रतिभाग किया गया)	–	सदस्य
(4)	डॉ0 एस0 एन0 शंखवार, निदेशक, आई0एम0एस0, बी0एच0यू0, वाराणसी। (ऑनलाइन प्रतिभाग किया गया)	–	सदस्य
(5)	डॉ0 प्रशान्त गुप्ता, प्रधानाचार्य, सरोजनी नायडू मेडिकल कालेज, आगरा (ऑनलाइन प्रतिभाग किया गया)	–	सदस्य
(6)	डॉ0 संजय काला, प्रधानाचार्य, जी0एस0वी0एम0 मेडिकल कॉलेज, कानपुर (ऑनलाइन प्रतिभाग किया गया)	–	सदस्य
(7)	डॉ0 राजेश कश्यप, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, हिमेटोलॉजी विभाग, एस0जी0पी0जी0आई0एम0एस0, लखनऊ (ऑनलाइन प्रतिभाग किया गया)	–	सदस्य
(8)	डॉ0 आदेश कुमार, संकायाध्यक्ष (चिकित्सा संकाय) एवं कार्यवाहक कुलसचिव, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा	–	सदस्य
(9)	प्रो0 बिंजी बिजू, संकायाध्यक्ष (नर्सिंग संकाय), उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा (ऑनलाइन प्रतिभाग किया गया)	–	सदस्य
(10)	डॉ0 जितेन्द्र प्रसाद मथुरिया, संकायाध्यक्ष (पैरामेडिकल विज्ञान संकाय), उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा (ऑनलाइन प्रतिभाग किया गया)	–	सदस्य
(11)	डॉ0 प्रवीण कुमार, संकायाध्यक्ष (फार्मेसी संकाय), उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा	–	सदस्य
(12)	डॉ0 अतुल कुमार सिंह, संकायाध्यक्ष (दंत विज्ञान संकाय), उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा	–	सदस्य
(13)	डॉ0 राजेश कुमार वर्मा, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, माइक्रोबायोलॉजी विभाग, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा	–	सदस्य
(14)	डॉ0 शैलेन्द्र पाल सिंह, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, जनरल सर्जरी विभाग, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा	–	सदस्य
(15)	श्री दीपक वर्मा, कुलसचिव, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा (ऑनलाइन प्रतिभाग किया गया)	–	सदस्य सचिव
(16)	श्री जगरोपन राम, वित्त अधिकारी, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा	–	विशेष आमंत्री

इस प्रकार विश्वविद्यालय की कार्य परिषद की पंद्रहवीं बैठक दिनांक 25.04.2026 में कुल 18 में से 15 सदस्य उपस्थित रहे एवं 3 सदस्यों द्वारा बैठक में प्रतिभाग न कर सकने का संज्ञान लेते हुए गणपूर्ति (उपस्थिति पत्रक संलग्न) होने पर सर्वप्रथम कुलपति, उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा/अध्यक्ष– कार्य परिषद द्वारा कार्य परिषद के सम्मानित सदस्यों का स्वागत किया गया। तदोपरान्त मा0 कुलपति महोदय/अध्यक्ष–कार्य परिषद द्वारा कार्य परिषद के समक्ष बिन्दुवार एजेण्डा प्रस्तुत किया गया।

बैठक में एजेण्डावार प्रस्तावों पर विचार–विमर्श उपरान्त कार्य परिषद की कार्यवाही और लिये गये निर्णय निम्नवत् हैं:–

एजेन्डा बिन्दु/विषय	एजेण्डा टिप्पणी
एजेण्डा बिन्दु 15–1 **कार्य परिषद की चौदहवीं बैठक दिनांक 08.12.2025 के कार्यवृत्त की पुष्टि**	उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा की कार्य परिषद की चौदहवीं बैठक दिनांक 08.12.2025 के कार्यवृत्त की पुष्टि की जानी अपेक्षित है। **प्रस्ताव**– कार्य परिषद की चौदहवीं बैठक दिनांक 08.12.2025 का

दीपक वर्मा
कुलसचिव

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति

कार्यवृत्त कार्य परिषद के सदस्यों को उपलब्ध कराया गया था, किसी भी सदस्य से कार्यवृत्त पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। उक्त के दृष्टिगत मा0 कार्य परिषद, उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा की कार्य परिषद की चौदहवीं बैठक दिनांक 08.12.2025 के कार्यवृत्त की पुष्टि करना चाहें।

कार्य परिषद का निर्णयः— मा0 कार्य परिषद द्वारा कार्य परिषद की चौदहवीं बैठक दिनांक 08.12.2025 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

एजेण्डा बिन्दु 15—2

कार्य परिषद की चौदहवीं बैठक दिनांक 08.12.2025 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या

उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा की कार्य परिषद की चौदहवीं बैठक दिनांक 08.12.2025 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या निम्नवत् हैः—

एजेण्डा बिन्दु	निर्णय का सारांश	अनुपालन आख्या
(14—2)	**कार्य परिषद की तेरहवीं बैठक दिनांक 11.10.2025 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।** निर्णयः— कार्य परिषद की तेरहवीं बैठक दिनांक 11.10.2025 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या पर मा0 कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। साथ ही एजेण्डा बिंदु 13—47 के संबंध में मा0 कार्य परिषद द्वारा निर्देश दिये गये कि विधिक राय शीघ्र प्रेषित करने हेतु अनुस्मारक पत्र प्रेषित कर दिया जाये।	उक्त निर्देश के क्रम में श्री रोहित पाण्डेय, अधिवक्ता, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को नर्सिंग ऑफिसर श्री मलय कुमार राय के चिकित्सीय परीक्षण में कलर ब्लाइंडनेस पाये जाने के पश्चात अस्थायी ज्वाइनिंग के स्थान पर स्थायी ज्वाइनिंग के संबंध में विधिक परामर्श दिनांक 11.04.2026 को प्राप्त हो गया है, जिसके क्रम में कार्यवाही प्रचलन में है एवं एक High Level Medical Board का गठन कर दिया गया है।
(14—4)	**पेशेन्ट किचन सेवा प्रदाता एवं विश्वविद्यालय के साथ स्थापित अनुबन्ध दिनांक 22.05.2018 से 08 मार्च 2022 तक की अवधि के मध्य की गयी सेवाओं के सापेक्ष अनुबन्ध अनुसार अवशेष भुगतान के सम्बन्ध में।** निर्णयः— मा0 कार्य परिषद द्वारा प्रकरण में गठित समिति द्वारा की गई संस्तुति दिनांक 06.11.2025 पर अनुमोदन प्रदान किया गया।	**कार्यान्वित (Implemented)**
(14—7)	**विश्वविद्यालय में सम्पत्तियों का प्रबन्धन व रखरखाव हेतु सम्पदा अधिकारी (Estate Officer) के 01 पद सृजित किये जाने, वैकल्पिक व्यवस्था हेतु सम्पदा रक्षा समिति का गठन किये जाने तथा कार्यवाहक सम्पदा अधिकारी (Officiating Estate Officer) नामित किये जाने के संबंध में।** निर्णयः— (1) विश्वविद्यालय में	(1) विश्वविद्यालय के पत्र सं0 3604 दिनांक 06 जनवरी, 2026 के द्वारा सम्पदा अधिकारी (Estate Officer) का 01 पद सृजित किये जाने हेतु शासन को पत्र प्रेषित किया गया, जो शासन स्तर पर विचाराधीन है। शासन के पत्र

दीपक वर्मा
कुलसचिव

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति

			सम्पदा अधिकारी (Estate Officer) का 01 पद सृजित किये जाने हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये जाने के संबंध में मा0 कार्य परिषद् द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। (2) मा0 कार्य परिषद द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था हेतु सम्पदा रक्षा समिति का गठन किये जाने तथा कार्यवाहक सम्पदा अधिकारी (Officiating Estate Officer) नामित किये जाने के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया, जिसके लिये मा0 कार्य परिषद द्वारा मा0 कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।	दिनांक 06.02.2026 के क्रम में विश्वविद्यालय द्वारा पत्र सं0 4092 दिनांक 09.02.2026 के द्वारा सूचना प्रेषित की जा चुकी है। (2) विश्वविद्यालय के कार्यालय आदेश सं0 25 दिनांक 01.01.2026 के द्वारा डॉ0 विनय गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर, फार्माकोलॉजी विभाग को कार्यवाहक सम्पदा अधिकारी नामित किया गया है। सम्पदा रक्षा समिति का गठन एवं एस0ओ0पी0 बनाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
		(14–8)	**उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय में डेन्टल कॉलेज एवं अस्पताल की स्थापना।** **<u>निर्णयः</u>–** मा0 कार्य परिषद द्वारा उक्त प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान करते हुए दंत विज्ञान संकाय के अंतर्गत DCI मानकानुसार डेंटल कॉलेज एवं अस्पताल की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव शासन को प्रेषित करने के निर्देश दिये गये।	दंत विज्ञान संकाय के अंतर्गत DCI मानकानुसार डेंटल कॉलेज एवं अस्पताल की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव शासन को पत्र सं0 228 दिनांक 15.04.2026 के द्वारा प्रेषित किया गया है।
		(14–10)	**विश्वविद्यालय परिसर की सुरक्षा को सुदृढ़ करने हेतु 324 अतिरिक्त सुरक्षा कार्मिकों की संख्या में वृद्धि हेतु।** **<u>निर्णयः</u>–** मा0 कार्य परिषद द्वारा हॉस्पिटल बोर्ड के निर्णय पर अनुमोदन प्रदान किया गया।	(1) उ0प्र0 पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0 द्वारा 100 अतिरिक्त सुरक्षा कार्मिकों के सापेक्ष 33 कार्मिक ही उपलब्ध कराये गये हैं। अवशेष 67 सुरक्षा कार्मिकों को नई निविदा में सम्मिलित करते हुए निविदा की कार्यवाही सम्पादित की गई है। (2) 324 अतिरिक्त + अवशेष 67 को सम्मिलित करते हुए (उ0प्र0 पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0 द्वारा उपलब्ध न कराये जाने के कारण) अर्थात 391 सुरक्षा कार्मिकों की संख्या में वृद्धि हेतु निविदा की कार्यवाही सम्पादित की जा चुकी है। प्राप्त निविदाओं का तकनीकी मूल्यांकन हो चुका है। दिनाक 30.04.2026 तक टेण्डर की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जायेगी। उक्त के संबंध में नवीन एजेण्डा बिंदु 15–13 के अन्तर्गत प्रस्तुत है।

दीपक वर्मा
कुलसचिव

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति

	(14–11)	**विश्वविद्यालय के रेजीडेन्ट डाक्टर्स एवं यू0जी0 स्टूडेन्ट्स को निःशुल्क चिकित्सकीय सुविधा प्रदान किये जाने विषयक।** **निर्णयः–** मा0 कार्य परिषद द्वारा SOP for Medical Facility to Residents (JR and SR) and UG students of all faculties of UPUMS एवं हॉस्पिटल बोर्ड के निर्णय पर अनुमोदन प्रदान किया गया।	कार्यान्वित **(Implemented)**
	(14–12)	**विश्वविद्यालय परिसर में 1422 नग सी0सी0टी0वी0 कंट्रोल रूम के साथ स्थापित कराये जाने के संबंध में।** **निर्णयः–** मा0 कार्य परिषद द्वारा हॉस्पिटल बोर्ड के निर्णय पर अनुमोदन प्रदान किया गया।	विश्वविद्यालय परिसर में 1422 नग सी0सी0टी0वी0 कंट्रोल रूम के साथ स्थापित कराये जाने के संबंध में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है जिसके अन्तर्गत जेम पोर्टल पर निविदा सं0 GEM/2026/B/7407022 दिनांक 06.04.2026 को प्रकाशित की जा चुकी है, जिसकी अंतिम तिथि 28.04.2026 है। निविदा की प्रक्रिया मई–2026 के अंत तक पूर्ण कर ली जायेगी।
	(14–13)	**विश्वविद्यालय के ट्रामा बिल्डिंग में स्थापित सी0टी0 स्कैन मशीन एवं प्रस्तावित एम0आर0आई0 की ऑन साइट रिपोर्टिंग/टेली रिर्पोटिंग एवं USG/Doppler USG/ USG Guided Biopsy/ Drainage/FNAC इत्यादि हेतु रेडियोलॉजिस्ट की सेवा प्राप्ति विषयक।** **निर्णयः–** मा0 कार्य परिषद द्वारा हॉस्पिटल बोर्ड के उक्त निर्णय के क्रम में कार्यवाही के संबंध में एक समिति का गठन किये जाने हेतु मा0 कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।	प्रकरण में गठित की गई समिति की संस्तुति को हॉस्पिटल बोर्ड की बैठक दिनांक 16.04.2026 में प्रस्तुत किया गया, बैठक में की गई संस्तुति के क्रम में नवीन एजेण्डा बिंदु 15–11 के अन्तर्गत प्रस्तुत है।
	(14–14)	**विश्वविद्यालय के नवनियुक्त गैर–शैक्षणिक कार्मिकों को अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के संबंध में।** **निर्णयः–** मा0 कार्य परिषद द्वारा हॉस्पिटल बोर्ड के निर्णय पर अनुमोदन प्रदान किया गया।	कार्यान्वित **(Implemented)**
	(14–15)	**चयन प्रक्रिया में प्रतीक्षा सूची बनाये जाने का प्रावधान किये जाने के सम्बन्ध में।**	कार्यान्वित **(Implemented)**

दीपक वर्मा
कुलसचिव

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति

		निर्णयः— मा0 कार्य परिषद द्वारा उक्त प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।	
	(14—16)	**CBT परीक्षा आयोजित करने हेतु सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन के लिए ओपन टेंडर प्रक्रिया प्रारंभ करने अथवा UPPSC/UPSSSC के माध्यम से कराये जाने सम्बन्ध में।** **निर्णयः**— मा0 कार्य परिषद द्वारा ओपन टेण्डर के माध्यम से CBT परीक्षा संचालन हेतु सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन किये जाने के निर्देश दिये गये।	पूर्व में ओपेन टेण्डर के माध्यम से चयनित फर्म द्वारा आयोजित कराई गयी सी0बी0टी0 परीक्षा पर विश्वविद्यालय स्तर से जांच प्रचलन में है। इसलिये किसी अन्य प्रतिष्ठित संस्थान/ UPPSC/UPSSSC के माध्यम से चयन की कार्यवाही हेतु द्वितीय विकल्प के रूप में रखे जाने की आवश्यता है। उक्त से संबंधित नवीन एजेण्डा 15—16 के अन्तर्गत प्रस्तुत है।
	(14—18)	**रेजीडेन्ट डॉक्टर्स एवं नर्सिंग ऑफिसर के मध्य हुए विवाद प्रकरण में जाँच अधिकारी की जाँच आख्या के आधार पर कार्यवाही किये जाने के संबंध में।** **निर्णयः**— मा0 कार्य परिषद द्वारा डॉ० शुभम, डॉ० सचिन एवं डॉ० संदीप, जूनियर रेजीडेन्ट, अस्थि रोग विभाग एवं श्रीमती दिव्या तिवारी, नर्सिंग ऑफिसर को कड़ी चेतावनी निर्गत किये जाने एवं चेतावनी पत्र व्यक्तिगत पत्रावली में संलग्न किये जाने के निर्देश दिये गये।	**कार्यान्वित (Implemented)**
	(14—19)	**श्री रामब्रज सिंह, सहायक सुरक्षा अधिकारी के द्वारा CISF, ASG Banglore में Asstt. Sub-Inspector (Exe) पद पर दिनांक 05.09.2015 से 29.04.2021 तक तथा Sub-Inspector (Exe) पद पर दिनांक 30.04.2021 से 18.03.2024 तक की गयी सेवाओं को इस विश्वविद्यालय में की जा रही वर्तमान सेवा में जोड़े जाने के सम्बन्ध में।** **निर्णयः**— मा0 कार्य परिषद द्वारा श्री रामब्रज सिंह, सहायक सुरक्षा अधिकारी की सेवा जोड़े जाने सम्बन्धी प्रकरण को शासन को प्रेषित किये जाने के संबंध में अनुमोदन प्रदान किया गया।	**कार्यान्वित (Implemented)**

दीपक वर्मा
कुलसचिव

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति

	(14–20)	**विश्वविद्यालय में "Paramedical" शब्द के स्थान पर "Allied and Healthcare" शब्दावली का प्रयोग किये जाने हेतु उ०प्र० आयुर्विज्ञान विश्वविद्याल0य, सैफई, इटावा अधिनियम–2015 की सम्बंधित धाराओं के संशोधन के संबंध में।** निर्णयः– मा0 कार्य परिषद द्वारा "Paramedical" शब्द के स्थान पर "Allied and Healthcare" शब्दावली का प्रयोग किये जाने के संबंध में उ०प्र० आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा अधिनियम–2015 की सम्बंधित धाराओं में संशोधन हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।	**कार्यान्वित (Implemented)**
	(14–21)	**उ0प्र0 पूर्व सैनिक कल्याण निगम को सुरक्षा सेवाओं हेतु सर्विस प्रभार 5 प्रतिशत एवं पैरामेडिकल कार्मिकों हेतु सर्विस प्रभार 8.25 प्रतिशत देते हुए अनुबन्ध की कार्यवाही सम्पादित किये जाने के संबंध में।** निर्णयः– मा0 कार्य परिषद द्वारा उक्त प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया। साथ ही निर्देश दिये गये कि पैरामेडिकल कार्मिकों (सिविलियन) की सेवाओं हेतु की जाने वाली कार्यवाही के संबंध में कार्य परिषद की अगली बैठक में अवगत कराया जाये।	**कार्यान्वित (Implemented)**
	(14–22)	**विश्वविद्यालय की मा0 कार्यपरिषद की तेरहवीं बैठक दिनांक 11.10.2025 के एजेण्डा बिन्दु 13–40 में सन्दर्भित प्रकरण की जाँच हेतु नामित जाँच अधिकारी डॉ० ऊषा शुक्ला, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, एनेस्थीसिया विभाग द्वारा प्रस्तुत अनुरोध पत्र दिनांक 18.11.2025 पर निर्णय लिये जाने के संबंध में।** निर्णयः– मा0 कार्य परिषद द्वारा डॉ० ऊषा शुक्ला, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, एनेस्थीसिया विभाग के अनुरोध को स्वीकार करते हुए उनके स्थान पर प्रो0 आलोक	विश्वविद्यालय के कार्यालय आदेश सं0 4992 दिनांक 16.01.2026 द्वारा प्रो0 (डॉ0) आलोक दीक्षित, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, फार्माकोलॉजी विभाग को प्रश्नगत प्रकरण की जाँच किये जाने हेतु जाँच अधिकारी नामित किया गया है। प्रो0 (डॉ0) आलोक दीक्षित ने पत्र दिनांक 06.02.2026 द्वारा अवगत कराया गया है कि डॉ0 पिंकी पाण्डेय, प्रोफेसर, पैथोलॉजी विभाग के आकस्मिक निधन के कारण उनकी पारिवारिक

दीपक वर्मा
कुलसचिव

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति

		दीक्षित, विभागाध्यक्ष, फार्माकोलॉजी विभाग को जांच अधिकारी नामित करने का निर्णय लिया गया।	परिस्थितियां वर्तमान में अत्यंत विषम एवं अपरिहार्य हैं, जिसके कारण उनके लिए जांच कार्य को अपेक्षित निष्पक्षता, समय एवं एकाग्रता के साथ सम्पन्न कर पाना संभव नहीं हो पा रहा है। उक्त के अतिरिक्त उन्होंने स्वयं को जांच अधिकारी के दायित्व से मुक्त किये जाने तथा किसी अन्य उपयुक्त अधिकारी को नामित किये जाने का अनुरोध किया गया है, जिसके क्रम में प्रो0 (डॉ0) आलोक दीक्षित के स्थान पर किसी अन्य संकाय सदस्य/अधिकारी को जांच अधिकारी नामित करने के संबंध में नवीन एजेण्डा बिंदु 15–7 के अन्तर्गत प्रस्तुत है।
	टेबल एजेण्डा (मा0 अध्यक्ष महोदय की अनुमति से)		
	टेबल एजेण्डा–1	**Approval for inclusion of UPUMS, Saifai as a Nodal Centre under ICMR-AIIMS Project.** **<u>निर्णयः</u>**– मा0 कार्य परिषद द्वारा उक्त प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।	**कार्यान्वित (Implemented)**
	टेबल एजेण्डा–2	**Artificial Intelligence in Health Care & Medical Education हेतु लखनऊ में नेशनल कांफ्रेंस/समिट के आयोजन के संबंध में।** **<u>निर्णयः</u>**– मा0 कार्य परिषद द्वारा उक्त प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।	Artificial Intelligence in Health Care & Medical Education हेतु लखनऊ में नेशनल कांफ्रेंस/समिट के आयोजन के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा कार्यवाही प्रगति पर है। नेशनल कांफ्रेंस/समिट का आयोजन मई–2026 के प्रथम सप्ताह में कराया जाना प्रस्तावित है।

अतिरिक्त बिंदुः– कार्य परिषद की तेरहवीं बैठक में एजेण्डा बिंदु 13–12 के संबंध में

- अवगत कराना है कि डॉ0 पंकज कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, जनरल मेडिसिन विभाग दिनांक 04.12.2024 को एसोसिएट प्रोफेसर से प्रोफेसर (जुनियर ग्रेड) के पद पर पदोन्नति हेतु साक्षात्कार में सम्मिलित हुए, परंतु डी0पी0सी0 द्वारा उन्हें पदोन्नति हेतु उपयुक्त नहीं पाया गया।
- अवगत कराना है कि दिनांक 11.10.2025 को कार्य परिषद की तेरहवीं बैठक में एजेण्डा बिंदु 13–12 के अन्तर्गत डी0पी0सी0 की उक्त संस्तुतियों को कार्योत्तर अनुमोदन के संबंध में प्रस्तुत किया गया था, जिसमें इनके नाम के सम्मुख "Not recommended for

दीपक वर्मा
कुलसचिव

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति

promotion" अंकित किया गया था।

- डॉ0 पंकज कुमार द्वारा प्रश्नगत प्रकरण के संबंध में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, लखनऊ, राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन एवं मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में अपील की गयी है।
- डॉ0 पंकज कुमार द्वारा दिनांक 18.04.2026 को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को ई–मेल के माध्यम से अपनी शिकायत वापस लेने का अनुरोध किया गया है।
- राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, लखनऊ तथा राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन एवं मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से अंतिम निर्णय आने के बाद इनके पदोन्नति विषयक प्रकरण पर विचार किया जायेगा। मा0 कार्य परिषद अवगत होना चाहें।

प्रस्ताव– कार्य परिषद की चौदहवीं बैठक दिनांक 08.12.2025 में लिये गये निर्णयों की उपर्युक्त अनुपालन आख्या पर मा0 कार्य परिषद अनुमोदन प्रदान करना चाहें।

<u>कार्य परिषद का निर्णयः–</u> कार्य परिषद की चौदहवीं बैठक दिनांक 08.12.2025 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या पर मा0 कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

<u>एजेण्डा बिन्दु 15–3</u>

कार्य परिषद की आकस्मिक बैठक दिनांक 28.03.2026 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या

उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा की कार्य परिषद की आकस्मिक बैठक दिनांक 28.03.2026 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या निम्नवत् हैः–

एजेण्डा बिन्दु	निर्णय का सारांश	अनुपालन आख्या
(1)	**विश्वविद्यालय के मनोचिकित्सा विभाग में घटित घटना के संबंध में प्रकरण की जांच किये जाने हेतु दिनांक 19 मार्च, 2026 को 09 सदस्यीय समिति गठित की गई थी। उक्त समिति को सभी स्टेकहोल्डर्स की ड्यूटी एवं जिम्मेदारियों का तथ्यात्मक परीक्षण करने तथा पर्यवेक्षण अथवा प्रणालीगत स्तर पर हुई किसी भी प्रकार की कमी (lapses) का परीक्षण करते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये थे जिसे मा0 कार्य परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया गया।** **<u>निर्णयः–</u>** मा0 कार्य परिषद के समक्ष समिति की रिपोर्ट से संबंधित सीलबंद लिफाफे को खोला गया। तदोपरान्त समिति की रिपोर्ट को पढ़कर मा0 कार्य परिषद को अवगत कराया गया। मा0 कार्य परिषद द्वारा सम्पूर्ण घटनाक्रम पर विस्तृत विचार–विमर्श करते हुए निम्नलिखित निर्णय लिया गयाः–	(2) विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा पीड़िता के स्वास्थ्य एवं हित के दृष्टिगत दिनांक 06/04/2026 को मा० उच्च न्यायालय में अपना पक्ष रखते हुए महिला का चिकित्सीय गर्भपात अधिनियम, 1971 (संशोधित 2021) के तहत आकस्मिक गर्भपात कराने की अनुमति मांगी गई थी। मा० उच्च न्यायालय के द्वारा विचाराधीन मामले की गंभीरता के दृष्टिगत विश्वविद्यालय प्रशासन को आदेशित किया गया कि चिकित्सीय निगरानी में महिला का आकस्मिक गर्भपात दिनांक 10/04/2026 को कराया जाए। मा० उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में पीड़िता का गर्भपात विशेषज्ञ चिकित्सकों की निगरानी में किया गया। निर्देशानुसार डी0एन0ए0 टेस्ट के लिए सैंपल पुलिस विभाग को

दीपक वर्मा
कुलसचिव

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति

		1. मा0 कार्य परिषद द्वारा प्रकरण में अब तक विश्वविद्यालय स्तर पर कृत कार्यवाही की सम्पुष्टि (Ratification) की गई। 2. मा0 कार्य परिषद द्वारा डी0एन0ए0 मैच कराये जाने एवं Medical Termination of Pregnancy हेतु की गई पृच्छा के क्रम में अवगत कराया गया कि डी0एन0ए0 सैम्पल लिये जा चुके हैं तथा Medical Termination of Pregnancy के लिये रिपोर्ट तैयार कर थानाध्यक्ष, सैफई को प्रेषित की जा चुकी है, मा0 कार्य परिषद द्वारा उक्त कार्यवाही पर संतोष व्यक्त किया गया। 3. मा0 कार्य परिषद द्वारा मनोचिकित्सा विभाग में कार्यरत कार्मिकों के विरूद्ध विभागीय जाँच कराये जाने का निर्णय लिया गया जिसके क्रम में उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत विभागीय जाँच प्रारम्भ किये जाने के निर्देश दिये गये। विभागीय जाँच प्रारम्भ किये जाने हेतु निम्नलिखित को जाँच अधिकारी एवं प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नामित करने का प्रस्ताव दिया गया, जिसे मा0 कार्य परिषद द्वारा स्वीकार किया गया:– 1. प्रो0 (डॉ0) एस0पी0 सिंह, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक– जाँच अधिकारी (Investigating Officer) 2. श्री राजकुमार सचवानी, प्रशासनिक अधिकारी– प्रस्तुतकर्ता अधिकारी (Presenting Officer) 4. मा0 कार्य परिषद द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि विभागीय जाँच के दौरान संबंधित समस्त कार्यवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग भी संरक्षित की जाये।	हस्तांतरित कर दिया गया है। (3) व (4) विश्वविद्यालय के कार्यालय आदेश सं0 295 दिनांक 17.04.2026 के द्वारा प्रो0 (डॉ0) एस0पी0 सिंह, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को जाँच अधिकारी एवं श्री राजकुमार सचवानी, प्रशासनिक अधिकारी को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नामित किया जा चुका है। आरोप पत्र तैयार करने की कार्यवाही प्रचलन में है। पीड़िता के पुनर्वास के लिये किसी अन्य सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित करने हेतु जिलाधिकारी, इटावा को पत्र सं0 241 दिनांक 16.04.2026 प्रेषित किया गया। इस संबंध में जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, इटावा के पत्र दिनांक 17.04.2026 के क्रम में पीड़िता को दिनांक 20.04.2026 को राजकीय मानसिक मंदित दिव्यांगजन हेतु आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केन्द्र, ग्राम परवर पूरब, तहसील सरोजनी नगर, जनपद लखनऊ में संवासित करा दिया गया है।

दीपक वर्मा
कुलसचिव

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति

		(2)	**दिनांक 29.01.2026 को विश्वविद्यालय के लेक्चर थियेटर–2 में छात्रों के साथ मारपीट एवं अभद्र व्यवहार किये जाने का प्रकरण संज्ञान में आने पर संबंधित चिकित्सा शिक्षकों/अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। चिकित्सा शिक्षकों/अधिकारियों से प्राप्त स्पष्टीकरण के अवलोकन एवं इस संबंध में मा0 कुलपति महोदय से प्राप्त निर्देश के क्रम में उक्त प्रकरण की तथ्यात्मक जांच हेतु Fact Finding Committee का गठन किया गया था। Fact Finding Committee द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है जिसे मा0 कार्य परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया गया।** <u>कार्य परिषद का निर्णयः–</u> मा0 कार्य परिषद के समक्ष समिति की रिपोर्ट से संबंधित सीलबंद लिफाफे को खोला गया। तदोपरान्त समिति की रिपोर्ट को पढ़कर मा0 कार्य परिषद को अवगत कराया गया। मा0 कार्य परिषद द्वारा सम्पूर्ण घटनाक्रम पर विस्तृत विचार–विमर्श करते हुए निम्नलिखित निर्णय लिया गयाः– 1. मा0 कार्य परिषद द्वारा जाँच समिति के निष्कर्ष के आधार पर यह माना कि एण्टी रैगिंग स्क्वाड के अध्यक्ष डॉ0 नरेश पाल सिंह, प्रोफेसर, कम्युनिटी मेडिसिन द्वारा एम0बी0बी0एस0 छात्रों को एण्टी रैगिंग स्क्वाड एवं एण्टी रैगिंग कमेटी के सदस्यों के समक्ष थप्पड़ मारे गये। चूंकि यह कृत्य स्वयं संकाय सदस्यों द्वारा छात्रों के साथ किया गया है, जो कि अत्यधिक गंभीर घटना है। 2. चूंकि यह घटना एण्टी रैगिंग स्क्वाड एवं एण्टी रैगिंग कमेटी के सदस्यों के समक्ष की गई है इसलिये एण्टी	2. कार्यालय आदेश सं0 173 दिनांक 11.04.2026 के द्वारा पूर्व गठित एंटी रैगिंग कमेटी को निरस्त करते हुए नवीन सदस्यों को सम्मिलित कर नवीन एण्टी रैगिंग कमेटी का गठन कर दिया गया है। कार्यालय आदेश सं0 296 दिनांक 17.04.2026 के द्वारा पूर्व गठित एंटी रैगिंग स्क्वाड को निरस्त कर दिया गया है, नवीन एंटी रैगिंग स्क्वाड के गठन की कार्यवाही प्रचलन में है। 3. कार्यालय आदेश सं0 6361 दिनांक 28.03.2026 के द्वारा डॉ0 नरेश पाल सिंह, प्रोफेसर, कम्युनिटी मेडिसिन को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया गया है। डॉ0 नरेश पाल सिंह द्वारा अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 09.04.2026 के द्वारा निलम्बन आदेश पर पुनर्विचार किये जाने का अनुरोध किया गया है। 4. विश्वविद्यालय के कार्यालय आदेश सं0 297 दिनांक 17.04.2026 के द्वारा प्रो0 (डॉ0) अमित सिंह, चिकित्सा अधीक्षक को जाँच अधिकारी एवं श्री माहताब आलम खाँ, कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नामित किया जा चुका है। आरोप पत्र तैयार करने की कार्यवाही प्रचलन में है। 5. दिनांक 26/27 जनवरी, 2026 की रात्रि एम0बी0बी0एस0 प्रथम वर्ष के छात्रों के साथ रैगिंग की घटना की जांच हेतु कार्यालय आदेश सं0 240 दिनांक 16.04.2026 के द्वारा जांच समिति का गठन करते हुए 15 दिवसों में आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिये जा चुके हैं।

दीपक वर्मा
कुलसचिव

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति

			रैगिंग स्क्वाड एवं एण्टी रैगिंग कमेटी के सदस्यों को भी जिम्मेदार मानते हुए मा0 कार्य परिषद द्वारा एण्टी रैगिंग स्क्वाड एवं एण्टी रैगिंग कमेटी को तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए नवीन एण्टी रैगिंग स्क्वाड एवं एण्टी रैगिंग कमेटी गठित करने के निर्देश दिये गये। 3. मा0 कार्य परिषद द्वारा घटना की गंभीरता को देखते हुए डॉ0 नरेश पाल सिंह, प्रोफेसर, कम्युनिटी मेडिसिन को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किये जाने के निर्देश दिये गये। 4. मा0 कार्य परिषद द्वारा उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत एण्टी रैगिंग स्क्वाड एवं एंटी रैगिंग समिति के घटना के दौरान उपस्थित समस्त संलिप्त संकाय सदस्यों और सहायक सुरक्षा अधिकारी के विरूद्ध विभागीय जाँच के निर्देश दिये गये। विभागीय जाँच हेतु निम्नलिखित को जाँच अधिकारी एवं प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नामित करने का प्रस्ताव दिया गया, जिसे मा0 कार्य परिषद द्वारा स्वीकार किया गया:– 1. प्रो0 (डॉ0) अमित सिंह, चिकित्सा अधीक्षक – जाँच अधिकारी (Investigating Officer) 2. श्री माहताब आलम खाँ, कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी – प्रस्तुतकर्ता अधिकारी (Presenting Officer) **5.** मा0 कार्य परिषद द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि दिनांक 26/27 जनवरी, 2026 की रात्रि	

दीपक वर्मा
कुलसचिव

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति

		एम0बी0बी0एस0 प्रथम वर्ष के छात्रों के साथ रैगिंग की घटना की भी जांच की जाये।	
	टेबल एजेण्डा	**सी–डैक ई–सुश्रुत एचआईएमएस (DGME, उत्तर प्रदेश परियोजना) की तीन वर्षीय एमओयू अवधि समाप्त होने के परिप्रेक्ष्य में उ.प्र. आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई में अस्पताल सूचना प्रबंधन प्रणाली (HIMS) सेवाओं की निरंतरता के संबंध में।** निर्णयः– **1.** मा0 कार्य परिषद द्वारा डीजीएमई, उत्तर प्रदेश एवं सी–डैक के मध्य एमओयू का विस्तार न होने की स्थिति में यदि दिनांक 31 मार्च, 2026 के पश्चात सी–डैक द्वारा एचआईएमएस सेवाएं दिया जाना स्थगित किया जाता है अथवा बाधित किया जाता है उस स्थिति में डिजिटल अस्पताल सेवाओं के निर्बाध संचालन के दृष्टिगत वर्तमान प्रयोगशाला सूचना प्रणाली (LIS) का विस्तार करते हुए उसमें आवश्यकतानुसार मॉड्यूल्स सम्मिलित करते हुए अन्तरिम डिजिटल अथवा हाईब्रिड प्रणाली अपनाने के संबंध में मा0 कुलपति महोदय को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु अधिकृत किया गया। **2.** मा0 कार्य परिषद द्वारा निर्देश दिये गये कि चूंकि सी–डैक के माध्यम से प्रदेश के 22 मेडिकल कॉलेजों में ई–सुश्रुत के माध्यम से दिये जा रहे एचआईएमएस सेवाओं का संतोषजनक न पाया जाना संज्ञान में आया है, अतः विश्वविद्यालय द्वारा AI Enabled Enhanced एचआईएमएस क्रियाशील किये जाने हेतु अग्रिम कार्यवाही किया जाना उचित होगा। अतः अनुबंध विस्तार न	कार्यान्वित (Implemented)

दीपक वर्मा
कुलसचिव

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति

	होने की स्थिति में शासन की सहमति से टेण्डर प्रक्रिया के माध्यम से एचआईएमएस हेतु स्वतंत्र व्यवस्था अपनाये जाने की सहमति प्रदान की गई।	

प्रस्ताव– कार्य परिषद की आकस्मिक बैठक दिनांक 28.03.2026 में लिये गये निर्णयों की उपर्युक्त अनुपालन आख्या पर मा0 कार्य परिषद अनुमोदन प्रदान करना चाहें।

<u>कार्य परिषद का निर्णयः–</u> कार्य परिषद की आकस्मिक बैठक दिनांक 28.03.2026 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या पर मा0 कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

<u>एजेण्डा बिन्दु 15–4</u> **श्री राजीव कुमार की दण्ड की अवधि पूर्ण होने के पश्चात श्री राजीव कुमार को जूनियर स्टोर ऑफिसर, लेवल–06 से असिस्टेन्ट स्टोर ऑफिसर, लेवल–07 में पदोन्नति प्रदान किये जाने के संबंध में उक्त प्रस्तुत प्रकरण एवं अन्य कैडरों में भी प्राप्त समान आपत्तियों पर विस्तृत अध्ययन व पुराने रिकॉर्ड को देखे जाने की आवश्यकता के क्रम में उच्च स्तरीय समिति का गठन किये जाने के संबंध में।**	अवगत कराना है कि श्री राजीव कुमार को कार्यस्थल पर महिलाओं के विरूद्ध यौन शोषण के प्रयत्न का दोषी पाये जाने पर मा0 कार्य परिषद की बारहवीं बैठक दिनांक 26.11.2024 के एजेण्डा बिन्दु 12–24 में लिये गये निर्णय के अनुपालन में कार्यालय आदेश सं0 3134/यूपीयूएमएस/अधि0–05(68)/2024–25 दिनांक 19.12.2024 द्वारा श्री राजीव कुमार, वरिष्ठ स्टोर कीपर (पदस्थापन उपरान्त पदनाम–जूनियर स्टोर ऑफीसर) को संचयी प्रभाव के साथ वर्ष 2025 की वार्षिक वेतन वृद्धि रोके जाने का दण्ड अधिरोपित किया गया था। उक्त के अनुपालन में श्री राजीव कुमार, जूनियर स्टोर ऑफीसर की वर्ष 2025 में दण्ड स्वरूप वार्षिक वेतन वृद्धि स्थायी रूप से रोकी गयी है। इनकी दण्ड की अवधि मा0 कार्य परिषद की बैठक दिनांक 26.11.2024 से दिनांक 26.11.2025 तक 01 वर्ष की थी, जो कि दिनांक 26.11.2025 को पूर्ण हो चुकी है। उल्लेखनीय है कि उ0प्र0 शासन के **पत्र संख्या 4/2022/13(4)2021/का–1–2022 दिनांक 06.05.2022** के बिन्दु सं0 3.3.1 में निम्नवत् व्यवस्था हैः– **<u>सम्बन्धित कार्मिक हेतु पारित दण्डादेश में यदि कोई नियत समयावधि अंकित है (यथा एक या अधिक वर्षों हेतु संचयी प्रभाव से वेतन वृद्धि रोका जाना) तो उतने चयन वर्षों में सम्बन्धित कार्मिक को 'अनुपयुक्त' घोषित किया जायेगा और उस कार्मिक को तब तक पदोन्नत नहीं किया जायेगा जब तक दण्ड में उल्लिखित अवधि समाप्त न हो जाये।</u>** तदोपरान्त सामान्य प्रक्रिया के अन्तर्गत श्री राजीव कुमार पर लगाए गए दण्ड को ध्यान में रखते हुए गठित विभागीय पदोन्नति समिति (डी0पी0सी0) ने श्री राजीव कुमार को जूनियर स्टोर ऑफीसर लेवल–06 पे मैट्रिक्स रू0 35400–112400 से असिस्टेन्ट स्टोर ऑफीसर लेवल–07 पे मैट्रिक्स रू0 44900–142400 पर डी0पी0सी0 की तिथि दिनांक 21.01.2026 से पदोन्नति अनुमन्य किये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी है। **<u>प्रकरण से संबंधित विस्तृत विवरणः</u>** • कार्यालय आदेश सं0 4534 दिनांक 11.12.2023 के द्वारा कार्य परिषद की ग्याहवीं बैठक दिनांक 12.09.2023 के एजेण्डा बिंदु सं0 11–21 में लिये गये निर्णय के अनुपालन में कार्यालय आदेश सं0 3456 दिनांक 29.11.2023 द्वारा सहायक स्टोर कीपर लेवल–4 एवं

दीपक वर्मा
कुलसचिव

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति

स्टोर कीपर लेवल–5 में कार्यरत कार्मिकों को न्यू कैडर संरचना में सृजित प्रारंभिक पद स्टोर कीपर लेवल–6 में तथा वरिष्ठ स्टोर कीपर लेवल–6 में कार्यरत कार्मिकों को जूनियर स्टोर ऑफिसर लेवल–6 में कार्य परिषद की तिथि दिनांक 12.09.2023 से संविलीन/पदस्थापित किया गया है, जिसमें श्री राजीव कुमार को वरिष्ठ स्टोर कीपर लेवल 6 से जूनियर स्टोर आफिसर लेवल–6 में पदस्थापित/संविलीन किया गया।

- कार्य परिषद की बारहवीं बैठक में एजेण्डा बिंदु 12–9 के अन्तर्गत कार्य परिषद की 11वीं बैठक दिनांक 12.09.2023 में लिये गये निर्णय के क्रियान्वयन में आ रही कठिनाईयों के निवारण के दृष्टिगत मा0 कुलपति महोदय की अध्यक्षता में आहूत बैठक में गैर शैक्षणिक कार्मिकों को पदोन्नति किये जाने से पूर्व लेन्थ ऑफ सर्विस की गणना किये जाने के सम्बन्ध में कार्यालय आदेश सं0 4999/यूपीयूएमएस/अधि0–07(1976– सी0डी0)/2023–24 दिनांक 05.02.2024 व संशोधित कार्यालय आदेश सं0 5011/यूपीयूएमएस/ अधि0–07(1976–सी0डी0)/ 2023–24 दिनांक 06.02.2024 द्वारा निम्नवत् निर्णय लिए गयेः–
    1. कार्य परिषद की 11वीं बैठक दिनांक 12.09.2023 के क्रम में लेन्थ ऑफ सर्विस की गणना किये जाने के सम्बन्ध में विचार–विमर्श के उपरान्त समिति यह संस्तुति करती है कि जो पदधारक कार्य परिषद की तिथि को जिस वेतनमान/लेवल में कार्यरत था, उसी वेतनमान/लेवल के सादृश्य नवीन कैडर में उपलब्ध पदों पर कार्य परिषद की तिथि से पदस्थापित किया जाये। लेवल के सादृश्य पद उपलब्ध न होने की दशा में वर्तमान पद पर ही पदस्थापित किया जायेगा।
    2. लेंथ आफ सर्विस की गणना शासनादेश सं0 1421/71–2–16–आर0एम0–18/ 2014 दिनांक 19.05.2016 के पूर्व से नहीं की जायेगी।
    3. न्यू कैडर संरचना में पदस्थापन को प्रोन्नति नहीं माना जायेगा।
    4. एम0ए0सी0पी0/पदोन्नति की तिथि से लेंथ ऑफ सर्विस की गणना करते हुए उच्च पद हेतु अनिवार्य अर्हता निर्धारित करते हुए डी0पी0सी0 की तिथि से पदोन्नति प्रदान की जायेगी। उच्चतर पद की अर्हता हेतु निर्धारित अवधि पूर्ण न करने वाले पदधारकों को निर्धारित अवधि पूर्ण करने पर ही पदोन्नति हेतु विचार किया जायेगा।
    5. कार्य परिषद के निर्णय के क्रम में लेंथ ऑफ सर्विस का बेनिफिट केवल एक बार ही अनुमन्य किया जायेगा अर्थात् पदस्थापन के पश्चात् उच्चतर पद हेतु निर्धारित सेवा अवधि पूर्ण करने पर ही उच्चतर पद पर पदोन्नति हेतु विचार किया जायेगा।
- कार्य परिषद की 12वीं बैठक के उक्त निर्णय के क्रम में श्री राजीव कुमार, वरिष्ठ स्टोर कीपर लेवल–6 से जूनियर स्टोर आफिसर लेवल–6 के पद पर पदस्थापना 17.10.2017 की तिथि से दिनांक 12.09.2023 मानते हुए पदोन्नति हेतु आवश्यक 02 वर्ष की अर्हता दिनांक 16.10.2019 को पूर्ण हुई।

दीपक वर्मा
कुलसचिव

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति

	• श्री राजीव कुमार के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रचलित होने के कारण दिनांक 29.02.2024 को आयोजित डी0पी0सी0 की बैठक में समिति द्वारा इन्हें जूनियर स्टोर आफिसर लेवल–6 से सहायक स्टोर आफिसर लेवल–7 में प्रोन्नति प्रदान किये जाने का निर्णय लेते हुए पदोन्नति कार्यवृत्त को सीलबंद लिफाफे में रखे जाने का निर्णय लिया गया था। • मा0 कार्य परिषद की 12वीं बैठक दिनांक 26.11.2024 के एजेण्डा बिंदु 12–24 में लिये गये निर्णय के अनुपालन में कार्यालय आदेश सं0 3134 दिनांक 19.12.2024 द्वारा श्री राजीव कुमार, वरिष्ठ स्टोर कीपर (पदस्थापन उपरांत जूनियर स्टोर आफिसर) को संचयी प्रभाव के साथ वर्ष 2025 की वार्षिक वेतनवृद्धि रोके जाने का दण्ड अधिरोपित किया गया। • श्री राजीव कुमार की दण्ड अवधि दिनांक 26.11.2025 को पूर्ण हो चुकी है। श्री राजीव कुमार को जूनियर स्टोर आफिसर लेवल–6 से सहायक स्टोर आफिसर लेवल–7 पर डी0पी0सी0 की तिथि दिनांक 21.01.2026 से पदोन्नत किये जाने हेतु प्रस्ताव के सूक्ष्म अवलोकनोपरान्त मा0 कुलपति महोदय द्वारा उक्त प्रस्तुत प्रकरण एवं अन्य कैडरों में भी प्राप्त समान आपत्तियों पर विस्तृत अध्ययन व पुराने रिकॉर्ड को देखे जाने की आवश्यकता व्यक्त करते हुए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन करने के निर्देश दिये गये जिसमें (1) प्रो0 संदीप भट्टाचार्य, उप कुलसचिव, के0जी0एम0यू0, लखनऊ (2) श्री विपिन कुमार, मुख्य लेखाधिकारी (3) मो0 माहताब आलम खाँ, कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी को नामित करने के निर्देश दिये गये। **प्रस्तावः** उक्त प्रस्तुत प्रकरण एवं अन्य कैडरों में भी प्राप्त समान आपत्तियों पर विस्तृत अध्ययन व पुराने रिकॉर्ड को देखे जाने की आवश्यकता के क्रम में उच्च स्तरीय समिति का गठन जिसमें (1) प्रो0 संदीप भट्टाचार्य, उप कुलसचिव, के0जी0एम0यू0, लखनऊ (2) श्री विपिन कुमार, मुख्य लेखाधिकारी (3) मो0 माहताब आलम खाँ, कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी को नामित करने के संबंध में मा0 कार्य परिषद अनुमोदन प्रदान करना चाहें।
कार्य परिषद का निर्णयः– मा0 कार्य परिषद द्वारा प्रस्तुत प्रकरण एवं अन्य कैडरों में भी प्राप्त समान आपत्तियों पर विस्तृत अध्ययन व पुराने रिकॉर्ड को देखे जाने की आवश्यकता के क्रम में उच्च स्तरीय समिति का गठन किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया। गठित की जाने वाली समिति में (1) प्रो0 संदीप भट्टाचार्य, उप कुलसचिव, के0जी0एम0यू0, लखनऊ (2) श्री विपिन कुमार, मुख्य लेखाधिकारी (3) मो0 माहताब आलम खाँ, कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी को नामित करने के संबंध में मा0 कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।	
एजेण्डा बिन्दु 15–5 **डॉ० जसवीर सिंह, प्रोफेसर (जू० ग्रेड), आर्थोपेडिक्स विभाग की एसोसिएट प्रोफेसर पद पर पदोन्नति की प्रभावी तिथि 01.07.2018 के आधार पर प्रोफेसर (जू० ग्रेड) पद पर पदोन्नति की तिथि संशोधित कर 01.07.2021 किए जाने के संबंध में।**	**प्रस्तावनाः–** डॉ० जसवीर सिंह द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक 07.02.2025 एवं 20.02.2025 तथा पूर्व में कार्य परिषद की तेरहवीं बैठक दिनांक 11.10.2025 के एजेण्डा बिन्दु 13–24 में लिये गये निर्णयों के क्रम में डॉ० जसवीर सिंह, प्रोफेसर (जू० ग्रे०), आर्थोपेडिक्स विभाग द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 29.12.2025 के माध्यम से किये गये अनुरोध पर विश्वविद्यालय के कार्यालय आदेश सं० 3225/यूपीयूएमएस/अधि०–1(1142–सी०डी०)/2024–25, दिनांक 27.12.2024 द्वारा उन्हें दिनांक 01.07.2022 से प्रदान की गयी वैयक्तिक

दीपक वर्मा
कुलसचिव

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति

प्रोन्नति को संशोधित करते हुए 01.07.2021 से प्रभावी किये जाने के संबंध में सन्दर्भित प्रकरण को आगामी कार्य परिषद की बैठक में रखे जाने का प्रस्ताव है।

पृष्ठभूमिः–

1. डॉ० जसवीर सिंह ने दिनांक 02.05.2013 को आर्थोपेडिक्स विभाग में लेक्चरर पद पर तथा दिनांक 21.10.2014 को असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर कार्यभार ग्रहण किया।
2. कार्यालय आदेश सं0 929/96/यूपीयूएमएस/अधि0–1/प्रमो0/2018–19, दिनांक 02.06.2018 के माध्यम से विभागीय प्रोन्नति समिति की संस्तुति दिनांक 28.03.2018 के आधार पर कार्य परिषद के अनुमोदनोपरान्त उन्हें असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसिएट प्रोफेसर पद पर पदोन्नति प्रदान की गई।तत्पश्चात कार्यालय आदेश दिनांक 23.07.2018 द्वारा दिनांक 03.07.2018 को उनके योगदान को स्वीकार किया गया।
3. कार्य परिषद की तेरहवीं बैठक दिनांक 11.10.2025 के एजेण्डा बिन्दु 13–24 में लिये गये निर्णय के अनुसार, उन्हें 30 जून 2018 से पूर्व पात्र पाए जाने के आधार पर एसोसिएट प्रोफेसर पद पर पदोन्नति की प्रभावी तिथि संशोधित कर 01.07.2018 की गई। इस संबंध में कार्यालय आदेश दिनांक 08.11.2025 द्वारा पूर्व आदेश को अवक्रमित करते हुए संशोधित तिथि से पदोन्नति एवं वेतन लाभ अनुमन्य किये गये तथा कार्यालय आदेश दिनांक 23.12.2025 द्वारा उनके योगदान को स्वीकार किया गया।
4. इसके अतिरिक्त, कार्यालय आदेश सं० 3225/यूपीयूएमएस/अधि०–1(1142–सी०डी०)/ 2024–25, दिनांक 27.12.2024 द्वारा उन्हें प्रोफेसर (जू० ग्रेड) पद पर 01.07.2022 से वैयक्तिक पदोन्नति प्रदान की गई है।

नियमः– New Career Progression Scheme के अंतर्गत प्रावधान है कि पात्रता की तिथि से निर्धारित अवधि (यहाँ 3 वर्ष) पूर्ण होने पर अगली पदोन्नति अनुमन्य होती है।चूँकि डॉ० जसवीर सिंह को एसोसिएट प्रोफेसर पद पर संशोधित रूप से 01.07.2018 से पदोन्नति प्रदान की जा चुकी है, अतः 3 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर वे 01.07.2021 से प्रोफेसर (जू०ग्रे0) पद हेतु पात्र हो जाते हैं (अन्य अर्हताओं की पूर्ति की शर्त पर)।

प्रस्ताव का आधारः– 1. एसोसिएट प्रोफेसर पद की प्रभावी तिथि 01.07.2018 स्वीकृत है। 2. नियमानुसार 3 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर 01.07.2021 से अगली पदोन्नति देय है। 3. अतः प्रोफेसर (जू० ग्रेड) पद की वर्तमान प्रभावी तिथि 01.07.2022 तर्कसंगत रूप से संशोधित की जानी उपयुक्त है। (अन्य अर्हताओं की पूर्ति की शर्त पर)।

प्रस्ताव पर अपेक्षित अनुमोदनः–

डॉ० जसवीर सिंह द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक 07.02.2025 एवं 20.02.2025 तथा पूर्व में कार्य परिषद की तेरहवीं बैठक दिनांक 11.10.2025 के एजेण्डा बिन्दु 13–24 में लिये गये निर्णयों के क्रम में डॉ० जसवीर सिंह, प्रोफेसर (जू० ग्रे०), आर्थोपेडिक्स विभाग द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 29.12.2025 के माध्यम से किये गये अनुरोध पर विश्वविद्यालय के कार्यालय आदेश सं० 3225/

दीपक वर्मा
कुलसचिव

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति

<table>
<tr><td></td><td>यूपीयूएमएस/अधि०–1(1142–सी०डी०)/2024–25, दिनांक 27.12.2024 द्वारा उन्हें दिनांक 01.07.2022 से प्रदान की गयी वैयक्तिक प्रोन्नति को संशोधित करते हुए 01.07.2021 से प्रभावी किये जाने हेतु यह प्रस्ताव है कि–
1. डॉ० जसवीर सिंह की प्रोफेसर (जू० ग्रेड) पद पर वैयक्तिक पदोन्नति की प्रभावी तिथि 01.07.2022 के स्थान पर 01.07.2021 की जाए।
2. तथापि, पदोन्नत पद के वेतन एवं अन्य वित्तीय लाभ पूर्ववत् 01.07.2022 से ही अनुमन्य किए जाएं।
उक्त प्रस्ताव पर मा0 कार्य परिषद से अनुमोदन अपेक्षित है।</td></tr>
<tr><td colspan="2">कार्य परिषद का निर्णयः– मा0 कार्य परिषद द्वारा उपर्युक्त प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।</td></tr>
<tr><td>एजेण्डा बिन्दु 15–6
विश्वविद्यालय के एन०पी०एस० (NPS) आच्छादित गैर–शैक्षणिक कार्मिकों को सेवानिवृत्त उपदान, मृत्यु उपदान एवं सेवानैवृत्तिक अन्य लाभ प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा अधिनियम 2015 की धारा–48 एवं संजय गाँधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान प्रथम नियमावली 2011 की धारा–105 में प्राविधानित व्यवस्था के क्रम में केन्द्र सरकार के कार्यालय ज्ञाप सं0 7/5/2012–पी.एंड.पी. डब्लू(एफ)/बी दिनांक 26.08.2016 द्वारा की गई व्यवस्था को अंगीकृत करने के संबंध में।</td><td>अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा के गैर–शैक्षणिक कार्मिकों को सेवानिवृत्ति एवं मृत्यु उपादान का लाभ प्रदान करने हेतु पूर्व में विश्वविद्यालय द्वारा उ0प्र0 शासन से अनुरोध किया गया है।
इस संबंध में अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय द्वारा चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन को प्रेषित किये गये अंतिम पत्र सं0 1031/E/यूपीयूएमएस/सा0प्रशा0/2014–सीडी/2025–26 दिनांक 20.06.2025 के क्रम में शासन द्वारा पत्र सं0 I/1216029/2026/71–4099/25/2023 दिनांक 23.01.2026 के द्वारा निम्नवत् निर्देशों के अनुसार अग्रतर कार्यवाही कराने की अपेक्षा की गई है:–
"उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा, एक स्वायत्तशासी संस्था है, जिसकी अपनी सेवा नियमावली/नियम/व्यवस्था होती है। उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा (पूर्ववर्ती उ0प्र0 ग्रामीण आयुर्विज्ञान संस्थान, सैफई, इटावा जिसकी स्थापना दिनांक 15.12.2005 को हुई) के गठन के समय उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय के कार्मिक, जो दिनांक 15.12.2005 के बाद नियुक्त हुए हैं, अथवा किसी अन्य विभाग की सेवा से विश्वविद्यालय की सेवा में आये हैं, उन्हें राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत सेवानिवृत्त उपादान, मृत्यु उपादान एवं सेवानैवृत्तिक अन्य लाभ किस प्रकार अनुमन्य होगा, के बिन्दु पर नियमावली/शासनादेशों/व्यवस्था/प्रावधान संस्थान द्वारा किये गये होंगे। वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 द्वारा जारी शासनादेश/नियम/नियमावली/व्यवस्था आदि राजकीय कर्मचारियों एवं उक्त व्यवस्थाओं में निर्दिष्ट किये गये विभागों पर लागू होती है। उक्त के अतिरिक्त अन्य संस्थाओं पर यह व्यवस्थायें तब तक लागू नहीं होगी जब तक संबंधित संस्था द्वारा उन्हें सक्षम स्तर के अनुमोदन से अंगीकृत नहीं कर लिया जाता है।"
<u>नियमः</u>
(1) उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा अधिनियम 2015 की धारा–48 में यह प्राविधानित है कि "विश्वविद्यालय में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों (शैक्षणिक एवं गैर– शैक्षणिक कर्मचारिवृंद) की सेवा शर्तें, योग्यतायें, अनुभव, वेतनमान एवं भत्तें आदि की सुविधायें संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान,</td></tr>
</table>

दीपक वर्मा
कुलसचिव

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति

	लखनऊ में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों (शैक्षणिक एवं गैर–शैक्षणिक कर्मचारिवृंद) के अनुरूप अनुमन्य होगी।" (2) संजय गाँधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान प्रथम नियमावली 2011 की धारा–105 में यह प्राविधानित है कि "अधिनियम और तद्धीन बनायी गयी नियमावली एवं इस विनियमावली के उपबंधों के अधीन रहते हुए संस्थान के कर्मचारियों को देय पेंशन, उपादान और पारिवरिक पेंशन अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में समय–समय पर प्रचलित पेंशन, उपादान और पारिवारिक पेंशन के अनुरूप राज्य सरकार के अनुमोदन के अधीन रहते हुए लागू होगें। नई पेंशन योजना 01 अप्रैल, 2005 को या उसके पश्चात नियुक्त कर्मचारियों पर लागू होगी।" **प्रस्तावः** विश्वविद्यालय के एन०पी०एस० (NPS) आच्छादित गैर–शैक्षणिक कार्मिकों को सेवानिवृत्त उपदान, मृत्यु उपदान एवं सेवानैवृत्तिक अन्य लाभ प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा अधिनियम 2015 की धारा–48 एवं संजय गाँधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान प्रथम नियमावली 2011 की धारा–105 में प्राविधानित व्यवस्था के क्रम में केन्द्र सरकार के कार्यालय ज्ञाप सं0 7/5/2012–पी.एंड.पी.डब्लू(एफ)/बी दिनांक 26.08.2016 द्वारा की गई व्यवस्था को अंगीकृत करते हुए उ0प्र0 शासन को अनुमोदन हेतु पत्र प्रेषित किये जाने का प्रस्ताव है। अतः मा0 कार्य परिषद से अनुरोध है कि संजय गाँधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान प्रथम नियमावली 2011 की धारा–105 में प्राविधानित व्यवस्था के क्रम में कार्यालय ज्ञाप सं0 7/5/2012–पी.एंड.पी.डब्लू(एफ)/बी दिनांक 26.08.2016 द्वारा की गई व्यवस्था को अंगीकृत करने हेतु अनुमोदन प्रदान करना चाहें।
कार्य परिषद का निर्णयः–	**मा0 कार्य परिषद द्वारा उपर्युक्त प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।**
एजेण्डा बिन्दु 15–7 **विश्वविद्यालय की मा० कार्यपरिषद की चौदहवीं बैठक दिनांक 08.12.2025 के एजेण्डा बिन्दु 14–22 में डॉ0 अनिल कुमार ईरी, प्रोफेसर, जनरल सर्जरी विभाग एवं तत्कालीन अपर चिकित्सा अधीक्षक को कोविड–19 के दौरान विभिन्न सामग्रियों/औषधियों के क्रय हेतु समय–समय पर स्वीकृत अग्रिम से सामग्रियों/औषधियों के क्रय में किये गये व्यय का समायोजन प्रस्तुत न करने संबंधी प्रकरण की जाँच हेतु पूर्व में नामित जाँच अधिकारी के स्थान पर किसी अन्य उपयुक्त अधिकारी को जाँच अधिकारी नामित किये जाने के सम्बन्ध में।**	**प्रस्तावनाः–** डॉ0 अनिल कुमार ईरी, प्रोफेसर, जनरल सर्जरी विभाग एवं तत्कालीन अपर चिकित्सा अधीक्षक को कोविड–19 के दौरान विभिन्न सामग्रियों/औषधियों के क्रय हेतु समय–समय पर स्वीकृत अग्रिम से सामग्रियों/औषधियों के क्रय में किये गये व्यय का समायोजन प्रस्तुत न करने एवं क्रय नियमों/वित्तीय नियमों का पालन न करने के कारण प्रकरण की जाँच किये के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय की मा० कार्यपरिषद की चौदहवीं बैठक दिनांक 08.12.2025 के एजेण्डा बिन्दु 14–22 में सन्दर्भित प्रकरण की जाँच हेतु पूर्व में नामित जाँच अधिकारी (डॉ० आलोक दीक्षित, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, फार्माकोलॉजी विभाग) द्वारा व्यक्त की गयी असमर्थता के दृष्टिगत, सन्दर्भित प्रकरण की जाँच हेतु किसी अन्य उपयुक्त अधिकारी को जाँच अधिकारी नामित किये जाने हेतु सन्दर्भित प्रकरण को आगामी कार्यपरिषद की बैठक जाने का प्रस्ताव है। **पृष्ठभूमिः–** डॉ0 अनिल कुमार ईरी, प्रोफेसर, जनरल सर्जरी विभाग एवं तत्कालीन अपर चिकित्सा अधीक्षक को कोविड–19 के दौरान विभिन्न सामग्रियों/औषधियों के क्रय हेतु समय–समय पर स्वीकृत अग्रिम से सामग्रियों/औषधियों के क्रय में किये गये व्यय का समायोजन प्रस्तुत न करने एवं क्रय नियमों/वित्तीय नियमों का पालन न करने के कारण प्रकरण की जाँच किये के सम्बन्ध में मा०

दीपक वर्मा
कुलसचिव

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति

	कार्यपरिषद की तेरहवीं बैठक दिनांक 11.10.2025 के एजेण्डा बिन्दु 13–40 में सन्दर्भित प्रकरण की जाँच हेतु प्रारम्भ में डॉ० ऊषा शुक्ला, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, एनेस्थीसिया विभाग को जाँच अधिकारी नामित किया गया था। किन्तु उनके द्वारा पत्र दिनांक 18.11.2025 के माध्यम से स्वयं को प्रकरण से पृथक किये जाने का अनुरोध किया गया, जिसके फलस्वरूप मा० कार्यपरिषद की चौदहवीं बैठक दिनांक 08.12.2025 के एजेण्डा बिन्दु 14–22 के निर्णयानुसार कार्यालय आदेश दिनांक 16.01.2026 द्वारा प्रो० (डॉ०) आलोक दीक्षित, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, फार्माकोलॉजी विभाग को जाँच अधिकारी नामित किया गया। तत्पश्चात डॉ० आलोक दीक्षित द्वारा अपने पत्र दिनांक 06.03.2026 के माध्यम से अवगत कराया गया कि पारिवारिक परिस्थितियों (डॉ० पिंकी पाण्डेय के आकस्मिक निधन) के कारण वे जाँच कार्य को अपेक्षित निष्पक्षता, समय एवं एकाग्रता के साथ सम्पन्न करने में असमर्थ हैं। अतः उन्होंने स्वयं को जाँच अधिकारी के दायित्व से मुक्त किये जाने का अनुरोध किया है। वर्तमान परिस्थितियों में जाँच कार्य की निरंतरता एवं निष्पक्षता बनाए रखने हेतु किसी अन्य उपयुक्त अधिकारी को जाँच अधिकारी नामित किये जाने का प्रस्ताव है। **प्रस्तावः**– डॉ0 अनिल कुमार ईरी, प्रोफेसर, जनरल सर्जरी विभाग एवं तत्कालीन अपर चिकित्सा अधीक्षक को कोविड–19 के दौरान विभिन्न सामग्रियों/औषधियों के क्रय हेतु समय–समय पर स्वीकृत अग्रिम से सामग्रियों/औषधियों के क्रय में किये गये व्यय का समायोजन प्रस्तुत न करने एवं क्रय नियमों/वित्तीय नियमों का पालन न करने के कारण प्रकरण की जाँच किये के सम्बन्ध में डॉ० आलोक दीक्षित, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, फार्माकोलॉजी विभाग को जाँच अधिकारी के दायित्व से मुक्त किये जाने तथा सन्दर्भित प्रकरण की जाँच हेतु मा0 कार्य परिषद डॉ0 सुशील कुमार शुक्ला, प्रोफेसर, कम्युनिटी मेडिसिन विभाग अथवा किसी अन्य को जाँच अधिकारी नामित करना चाहें।
<u>कार्य परिषद का निर्णयः</u>– मा0 कार्य परिषद द्वारा प्रकरण की जाँच हेतु पूर्व नामित डॉ० आलोक दीक्षित, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, फार्माकोलॉजी विभाग के स्थान पर डॉ0 सुशील कुमार शुक्ला, प्रोफेसर, कम्युनिटी मेडिसिन विभाग को जाँच अधिकारी नामित करने के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।	
<u>एजेण्डा बिन्दु 15–8</u> **वित्त समिति की पाँचवी बैठक दिनांकः 22.01.2026 में लिये गये निर्णयों को मा0 कार्य परिषद के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करना**	**<u>प्रस्तावनाः</u>** अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय की वित्त समिति की पाँचवी बैठक दिनांक 22.01.2026 को आयोजित की गयी जिसमें विभिन्न बिन्दुओं पर वित्त समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। बैठक में प्रस्तुत किये गये एजेण्डा एवं लिये गये निर्णयों का विवरण निम्नवत हैं:– **एजेण्डा बिंदु–5.1**: **वित्त समिति की चतुर्थ बैठक दिनांक 16.09.2025 के कार्यवृत्त की पुष्टि।** <u>वित्त समिति का निर्णय :–</u> समिति द्वारा वित्त समिति की चतुर्थ बैठक दिनांकः 16–09–2025 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी। **एजेण्डा बिंदु–5.2**: **वित्त समिति की चतुर्थ बैठक दिनांक 16.09.2025 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।** <u>वित्त समिति का निर्णय :–</u> (1) अनुपालन आख्या के बिन्दु संख्या–2 (4.3) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष

दीपक वर्मा
कुलसचिव

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति

2023–24 के तुलन–पत्र का चार्टर्ड एकाउन्टेंट (थर्ड पार्टी) से करायी गयी सम्परीक्षा में चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा दिये गये सुझाव अनुसार विश्वविद्यालय के मेडिकल कालेज एवं पैरामेडिकल कालेज हेतु शासन से वेतन भत्तों हेतु प्राप्त होने वाले अनुदान हेतु पृथक–पृथक रूप से खाता खोलने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया। इसे वित्तीय वर्ष 2026–27 से लागू कर लिया जाय।

(2) अनुपालन आख्या के बिन्दु संख्या–2 (4.6) के अन्तर्गत तालिका के क्रमांक संख्या–6 पर वर्णित कार्य– विश्वविद्यालय के विभिन्न भवनों में स्थापित कैरियर मेक के डक्टेबिल ए0सी0 को ठनल ठंबा करते हुए VRB/VRF AC System स्थापित कराये जाने के कार्य को उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 के स्थान पर विश्वविद्यालय द्वारा निविदा के माध्यम से कराये जाने पर वित्त समिति द्वारा सहमति प्रदान की गयी।

(3) उक्त के अतिरिक्त वित्त समिति की चतुर्थ बैठक दिनांकः 16–09–2025 के कार्यवृत्त के अन्य बिन्दुओं के अनुपालन आख्या से भी समिति अवगत हुई।

एजेण्डा बिंदु–5.3	**विश्वविद्यालय के तुलन–पत्र (Balance Sheet) अनुमोदित किये जाने के सम्बन्ध में।**

<u>वित्त समिति का निर्णय</u> :–

वित्त समिति द्वारा सर्वसम्मति से वित्तीय वर्ष 2024–25 के तुलन–पत्र (Balance Sheet) पर अनुमोदन प्रदान किया गया। समिति द्वारा सुझाव दिया गया कि तुलन–पत्र का किसी अन्य चार्टर्ड एकाउन्टेंट (थर्ड पार्टी) से इसकी सम्प्रीक्षा करा ली जाये।

एजेण्डा बिंदु–5.4	**ई0एन0टी0 विभाग में कॉक्लियर इम्पलान्ट कार्यक्रम के अन्तर्गत 02 साउण्ड प्रूफ कक्ष (एक साउंड–प्रूफ ऑडियोलॉजी रूम एवं एक साउंडप्रूफ बेरा रूम) की स्थापना।**

<u>वित्त समिति का निर्णय</u> :–

वित्त समिति द्वारा ई0एन0टी0 विभाग में कॉक्लियर इम्पलान्ट कार्यक्रम के अन्तर्गत 02 साउण्ड प्रूफ कक्ष (एक साउंड–प्रूफ ऑडियोलॉजी रूम एवं एक साउंडप्रूफ बेरा रूम) की स्थापना हेतु रू0 27.00 लाख विश्वविद्यालय की आय/बचत से व्यय किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिंदु–5.5	**विश्वविद्यालय के ग्रुप 'A' एवं ग्रुप 'B' (पैरामेडिकल) के गैर शैक्षणिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों (चिकित्सक एवं नर्सिंग संवर्ग को छोड़कर) को संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ, के समकक्ष अनुमन्य किये जाने तथा पूर्व से ग्रुप 'C' एवं 'D' कर्मचारियों के HPCA में महँगाई भत्ता 50 प्रतिशत की सीमा पार होने पर 25% वृद्धि उपरांत संशोधित दर वर्तमान तिथि से लागू किए जाने के सम्बन्ध में।**

<u>वित्त समिति का निर्णय</u> :–

वित्त समिति द्वारा उक्त प्रस्ताव पर विचार–विमर्श किया गया तथा निर्णय लिया गया कि ग्रुप 'A' एवं 'B' (पैरामेडिकल) के गैर शैक्षणिक कार्मिकों को HPCA/PCA लागू किये जाने विषयक प्रकरण पूर्व से ही शासन में संदर्भित होने के कारण उक्त प्रकरण को पुनः शासन को पत्र प्रेषित कर दिया जाय। ग्रुप 'C' एवं 'D' के गैर शैक्षणिक कार्मिकों को 50 प्रतिशत डी0ए0 लागू होने की तिथि 01 जनवरी, 2024 से वर्तमान दर रू0 4100.00 में 25 प्रतिशत की वृद्धि के उपरान्त रू0 5125.00 प्रतिमाह दिये जाने पर सहमति प्रदान की गयी।

दीपक वर्मा
कुलसचिव

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति

एजेण्डा बिंदु–5.6	**सहायक आचार्य, फार्मेसी संकाय, श्री संजय कुमार द्वारा अपनी आश्रित पत्नी के उपचार पर किए गए व्यय की चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन।**

वित्त समिति का निर्णय :–

वित्त समिति द्वारा कार्यालय आदेश संख्याः 263/रिम्सएण्डआर/2007–08, दिनांकः 18 अप्रैल, 2007 में विहित व्यवस्था अनुसार एक वित्तीय वर्ष में एक माह के समतुल्य वेतन (मूल वेतन तथा उस पर देय महंगाई भत्ता) के बराबर चिकित्सा प्रतिपूर्ति की धनराशि का भुगतान किये जाने पर सहमति प्रदान की गयी।

एजेण्डा बिंदु–5.7	**विश्वविद्यालय में लागू विभिन्न भत्तों की पुनरीक्षित दरों के सम्बन्ध में।**

वित्त समिति का निर्णय :–

वित्त समिति विश्वविद्यालय में विभिन्न कार्यालय आदेशों के माध्यम से लागू किये गये भत्तों की पुनरीक्षित दरों का अवलोकन करते हुए अवगत हुई।

विश्वविद्यालय की वित्त समिति की पाँचवी बैठक दिनांक 22.01.2026 का कार्यवृत्त अवलोकनार्थ रक्षित है।

प्रस्तावः वित्त समिति की पाँचवी बैठक दिनांक 22.01.2026 में एजेण्डा बिंदु–5.1 से 5.7 के अन्तर्गत लिये गये निर्णय पर मा0 कार्य परिषद अनुमोदन प्रदान करना चाहें।

कार्य परिषद का निर्णयः– वित्त समिति की पाँचवी बैठक दिनांक 22.01.2026 में एजेण्डा बिंदु–5.1 से 5.7 के अन्तर्गत लिये गये निर्णय पर मा0 कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु 15–9

विद्या परिषद की नौवीं बैठक दिनांक 16.04.2026 में लिये गये निर्णयों को मा0 कार्य परिषद के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करने के संबंध में।

अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय की विद्या परिषद की नौवीं बैठक दिनांक 16.04.2026 को आयोजित की गयी, जिसमें प्रस्तुत किये गये एजेण्डा एवं लिये गये निर्णयों का विवरण निम्नवत हैः–

एजेण्डा बिंदु 9–(1)	**विद्या परिषद की आठवीं बैठक दिनांक 05.12.2025 के कार्यवृत्त की पुष्टि**

निर्णयः– विद्या परिषद की आठवीं बैठक के कार्यवृत्त पर सैद्धान्तिक रूप से अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिंदु 9–(2)	**विद्या परिषद की आठवीं बैठक दिनांक 05.12.2025 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या**

निर्णयः– विद्या परिषद की आठवीं बैठक के निर्णयों की अनुपालन आख्या से विद्या परिषद अवगत हुई तथा एजेण्डा की अनुपालन आख्या के विषय में निम्नलिखित निर्देश दिये गयेः–

- एजेण्डा बिन्दु 8–(3.3) **Operational allocation of Four (04) Senior Resident (SR) seats for the newly established Palliative Medicine Unit to ensure compliance with NMC-mandated competencies and to support clinical and academic functions** के संबंध में विद्या परिषद द्वारा दूसरे विभागों के खाली पदों के सापेक्ष भर्ती करने का अनुमोदन प्रदान किया गया और मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को आदेश जारी करने हेतु निर्देशित किया गया।
- **एजेण्डा बिन्दु 8–(3.4) ई.एन.टी. विभाग में DNB Super Speciality Course in Rhinology प्रारम्भ किए जाने के संबंध में विभागाध्यक्ष, ई0एन0टी0 विभाग द्वारा समय से कार्यवाही प्रचलित न किये जाने पर विद्या परिषद द्वारा नाराजगी व्यक्त करते हुए एन0एम0सी0 सेल के माध्यम से प्रस्ताव तैयार करने तथा एन0बी0आई0 को प्रेषित करने के निर्देश दिये गये।**

दीपक वर्मा
कुलसचिव

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति

- एजेण्डा बिन्दु 8–(4) **Moderation of Examination Question Papers to Minimize Duplication and Ensure Quality** के संबंध में संकायाध्यक्ष, चिकित्सा संकाय द्वारा एक समिति का गठन कर एस0ओ0पी0 तैयार करने तथा आगामी विद्या परिषद से अनुमोदन प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव पारित किया गया।
- एजेण्डा बिन्दु 8–(7.3) फार्मेसी संकाय के संकाय सदस्यों की पदोन्नति के संबंध में उत्तर प्रदेश शासन से निम्न बिन्दुओं पर मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सकता है–
    1. अधिकांश संकाय सदस्य बिना वेतन वृद्धि के पदोन्नति के लिए सहमत हैं। इस स्थिति में संकाय सदस्यों को अनुभव की अवधि के आधार पर पदोन्नत पद पर नामित (Designate) किया जा सकता है या नहीं?
    2. कार्य परिषद की 11वीं बैठक, सितम्बर 2023 के निर्णय के क्रम में पदोन्नति हेतु शासन को पत्र प्रेषित किया गया था। उक्त प्रकरण में शासन से कोई दिशा निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं।

उपरोक्त दोनों बिन्दुओं पर शासन की अनुमति के अनुसार निर्णय लिया जा सकता है। उक्त के संबंध में **संकायाध्यक्ष, फार्मेसी** को कुलसचिव के माध्यम से शासन से पत्राचार करने हेतु निर्देशित किया गया।

एजेण्डा बिंदु 9–(3.1)	**रैगिंग की शिकायत संख्या यू0पी0–0750 की एन्टी रैगिंग समिति द्वारा की गयी जॉच में समिति द्वारा की गयी दण्ड की संस्तुतियों पर निर्णय लिये जाने हेतु।**

निर्णयः– उक्त प्रस्ताव पर विद्या परिषद द्वारा सैद्धान्तिक रूप से अनुमोदन देते हुए एन्टी रैगिंग कमेटी द्वारा प्रस्तावित दण्ड से संबंधित आदेश जारी करने के निर्देश दिए गए।

एजेण्डा बिंदु 9–(3.2)	**Research Methodology पर प्रतिवर्ष 02 वर्कशॉप कराये जाने तथा कार्यशाला में प्रतिभाग करने का प्रमाण पत्र प्रदान किये जाने हेतु।**

निर्णयः– उक्त कार्य रिसर्च सेल द्वारा किये जाने हेतु विद्या परिषद द्वारा सैद्धान्तिक रूप से अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिंदु 9–(3.3)	**UPUMS सैफई में Ph.D. कार्यक्रम के संचालन हेतु SGPGIMS लखनऊ के नियम एवं विनियमों का आवश्यक संशोधनों सहित अंगीकरण।**

निर्णयः– विद्या परिषद द्वारा निर्देश दिये गये कि उक्त प्रकरण को पी0एच0डी0 सेल द्वारा समिति के वाह्य सदस्य को प्रेषित किया जाये तथा उनकी सहमति प्राप्त कर आगामी कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाये।

एजेण्डा बिंदु 9–(3.4)	**Timing of Central Library for Residents**

निर्णयः– उक्त प्रस्ताव पर विद्या परिषद द्वारा सैद्धान्तिक रूप से अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिंदु 9–(3.5)	**विश्वविद्यालय के प्रत्येक विभाग में Departmental Alumni Cell के गठन हेतु।**

निर्णयः– उक्त प्रस्ताव पर विद्या परिषद द्वारा सैद्धान्तिक रूप से अनुमोदन प्रदान किया गया तथा यह निर्देशित किया गया कि सारे Departmental Alumni Cell, University Alumni Cell के निर्देशन में कार्य करेंगे। University Alumni Cell प्रतिवर्ष दो प्रोग्राम आयोजित करेगी।

दीपक वर्मा
कुलसचिव

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति

<table>
<tr><td>एजेण्डा बिंदु 9–(3.6)</td><td>विश्वविद्यालय में संचालित एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम के वार्षिक शुल्क की दरों को उ0प्र0 शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग के शासनादेश तथा एन0एम0सी0 की गाईडलाईन्स के अनुसार एवं डी0एन0बी0 पाठ्यक्रम का वार्षिक शुल्क एन0बी0ई0एम0एस0 की गाईडलाईन्स के अनुसार प्राप्त किया जाना।</td></tr>
<tr><td colspan="2">निर्णयः– चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–3 के शासनादेश संख्या 2240/71–3–2010–328/92 दिनांक 20.08.2010 एवं एन0एम0सी0 द्वारा निर्गत Clarification on Fee Chargeable for MBBS Course Duration विषयक पब्लिक नोटिस संख्या CDN-13011/1/2026-Coordination-NMC dated 07th April, 2026 तथा NBEMS की गाइड लाइन्स के अनुसार कार्यवाही करने हेतु विद्या परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।</td></tr>
<tr><td>एजेण्डा बिंदु 9–(4.1)</td><td>विश्वविद्यालय के चिकित्सा संकाय, नर्सिंग संकाय, पैरामेडिकल विज्ञान संकाय एवं फॉर्मेसी संकाय में स्थित परीक्षाहॉल को अपडेट करने के सम्बन्ध में।</td></tr>
<tr><td colspan="2">निर्णयः– उक्त प्रस्ताव पर विद्या परिषद द्वारा सैद्धान्तिक अनुमोदन प्रदान करते हुए निर्देश दिये गये कि प्रकरण को सक्षम अधिकारी को प्रेषित कर परीक्षा नियंत्रक द्वारा कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।</td></tr>
<tr><td>एजेण्डा बिंदु 9–(4.2)</td><td>विश्वविद्यालय में चिकित्सा संकाय, नर्सिंग संकाय, पैरामेडिकल विज्ञान संकाय, फॉर्मेसी संकाय एवं दंत संकाय की परास्नातक एवं स्नातक पाठ्यक्रमों की विश्वविद्यालय स्तरीय परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं को ऑनलाईन मूल्यांकन कराने के लिए साफ्टवेयर की आवश्यकता एवं अंकपत्र को आवश्यक स्पेसिफिकेशन के अनुसार होने तथा डिग्री (उपाधि) एवं अंकपत्र की Design, Printing and Paper के लिए फर्म की आवश्यकता के सम्बन्ध में।</td></tr>
<tr><td colspan="2">निर्णयः– विद्या परिषद द्वारा उक्त प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक रूप से सहमति प्रदान करते हुए अटल बिहारी विश्वविद्यालय, लखनऊ में प्रचलित व्यवस्था को विश्वविद्यालय में लागू कर परीक्षा नियंत्रक द्वारा कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये।</td></tr>
<tr><td>एजेण्डा बिंदु 9–(5)</td><td>उ0प्र0 शासन चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–4 द्वारा शासनादेश सं0– 1/1183715/2025/ 71–4099/78/2023 दिनांक 23.12.2025 के माध्यम से राष्ट्रीय सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देख–रेख वृति आयोग अधिनियम 2021 की धारा–2 (ख, (ग), (घ), (ड.) एवं (1) के अन्तर्गत "पैरामेडिकल" (Paramedical) शब्द के स्थान पर "सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देख–रेख" (Allied and Healthcare) शब्द का प्रयोग करना सुनिश्चित किये जाने हेतु शासन द्वारा निर्देश प्राप्त हुए हैं, जिसका अनुमोदन विद्या परिषद में प्राप्त किया जाना है।</td></tr>
<tr><td colspan="2">निर्णयः– विद्या परिषद द्वारा उक्त प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक रूप से अनुमोदन प्रदान किया गया।</td></tr>
<tr><td>एजेण्डा बिंदु 9–(6.1)</td><td>To consider and adopt the eligibility criteria for appearing in the 8th Semester Examination of the B.Sc. Nursing Programme in accordance with the revised guidelines issued by the Indian Nursing Council (INC).</td></tr>
<tr><td colspan="2">निर्णयः– उक्त प्रस्ताव पर विद्या परिषद द्वारा आई0एन0सी0 में प्रचलित नियमों को लागू करने हेतु सैद्धान्तिक रूप से अनुमोदन प्रदान किया गया।</td></tr>
</table>

दीपक वर्मा
कुलसचिव

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति

<table>
<tr><td>एजेण्डा बिंदु 9—(6.2)</td><td>Review and Approval of Guidelines for Conducting the 8th Semester Competency Based Assessment</td></tr>
<tr><td colspan="2">निर्णयः— उक्त प्रस्ताव पर विद्या परिषद द्वारा सैद्धान्तिक रूप से अनुमोदन प्रदान किया गया।</td></tr>
<tr><td>एजेण्डा बिंदु 9—(6.3)</td><td>To review and approve the revised Program Outcomes (POs) for the Academic Year 2026–2027.</td></tr>
<tr><td colspan="2">निर्णयः— उक्त प्रस्ताव पर विद्या परिषद द्वारा सैद्धान्तिक रूप से अनुमोदन प्रदान किया गया।</td></tr>
<tr><td>एजेण्डा बिंदु 9—(6.4)</td><td>To consider and approve the Standard Operating Procedure (SOP) for appearing in University Examinations.</td></tr>
<tr><td colspan="2">निर्णयः— विद्या परिषद द्वारा निर्देश दिये गये कि विश्वविद्यालय स्तर पर समिति गठित कर समिति की रिपोर्ट को डीन कमेटी से अनुमोदित कराने के उपरान्त आगामी विद्या परिषद में प्रस्तुत किया जाये।</td></tr>
<tr><td>एजेण्डा बिंदु 9—(6.5)</td><td>To deliberate and approve the requirement of obtaining prior approval from the Associate Dean for internal question papers and evaluation records before submission to the Examination Cell.</td></tr>
<tr><td colspan="2">निर्णयः— उक्त प्रस्ताव पर विद्या परिषद द्वारा सैद्धान्तिक रूप से अनुमोदन प्रदान किया गया।</td></tr>
<tr><td>एजेण्डा बिंदु 9—(6.6)</td><td>To consider and approve the inclusion of Demonstrators in intra-mural and extra-mural projects for Nursing and Paramedical Faculty</td></tr>
<tr><td colspan="2">निर्णयः— उक्त प्रस्ताव पर विद्या परिषद द्वारा Intramural Project के लिए सैद्धान्तिक रूप से अनुमोदन प्रदान किया गया तथा Extramural Project के लिए Sponsoring agency की सहमति के अनुसार किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।</td></tr>
<tr><td>एजेण्डा बिंदु 9—(6.7)</td><td>To consider and approve the revision of Board of Studies (BOS) Members in Nursing Faculty</td></tr>
<tr><td colspan="2">निर्णयः— उक्त प्रस्ताव पर विद्या परिषद द्वारा सैद्धान्तिक रूप से अनुमोदन प्रदान किया गया।</td></tr>
<tr><td colspan="2">टेबल एजेण्डा</td></tr>
<tr><td>एजेण्डा बिंदु 9—(7.1)</td><td>जनरल सर्जरी विभाग में एन0एम0सी0 के दृष्टिगत पी0जी0 सीट में वृद्वि करवाने हेतु गैस्ट्रो सर्जरी विभाग के असि0 प्रोफेसर को सर्जरी विभाग में सम्मिलित करने के संबंध में।</td></tr>
<tr><td colspan="2">निर्णयः— उक्त प्रस्ताव पर विद्या परिषद द्वारा सैद्धान्तिक रूप से अनुमोदन प्रदान किया गया।</td></tr>
<tr><td>एजेण्डा बिंदु 9—(7.2)</td><td>विश्वविद्यालय में नैदानिक अनुसंधान (क्लीनिकल रिसर्च) हेतु 22 एस0ओ0पी0 को लागू किये जाने के संबंध में।</td></tr>
<tr><td colspan="2">निर्णयः— उक्त प्रस्ताव पर विद्या परिषद द्वारा सैद्धान्तिक रूप से अनुमोदन प्रदान किया गया।</td></tr>
</table>

प्रस्तावः विद्या परिषद की नौवीं बैठक दिनांक 16.04.2026 में लिये गये निर्णयों पर मा0 कार्य परिषद अनुमोदन प्रदान करना चाहें।

कार्य परिषद का निर्णयः— विद्या परिषद की नौवीं बैठक दिनांक 16.04.2026 में लिये गये निर्णयों पर मा0 कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

दीपक वर्मा
कुलसचिव

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति

<table>
<tr>
<td rowspan="18"><u>एजेण्डा बिन्दु 15–10</u>
हॉस्पिटल बोर्ड की द्वितीय बैठक दिनांक 16.04.2026 में की गई संस्तुतियों पर मा0 कार्य परिषद के अनुमोदन के संबंध में।</td>
<td colspan="2">अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय के हॉस्पिटल बोर्ड की द्वितीय बैठक दिनांक 16.04.2026 को आयोजित की गयी, जिसमें निम्नलिखित बिंदुओं पर हॉस्पिटल बोर्ड द्वारा संस्तुति की गई:–</td>
</tr>
<tr><td>1.</td><td>हॉस्पिटल बोर्ड की प्रथम बैठक दिनांक 26.11.2025 के कार्यवृत्त की पुष्टि ।</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>विश्वविद्यालय के ट्रामा बिल्डिंग में स्थापित सी0टी0 स्कैन मशीन एवं प्रस्तावित एम0आर0आई0 की ऑन साइट रिपोर्टिंग/टेली रिपोर्टिंग एवं USG/Doppler USG/USG Guided Biopsy/Drainage/ FNAC इत्यादि हेतु रेडियोलॉजिस्ट की सेवा प्राप्ति हेतु।</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>विश्वविद्यालय की विभिन्न ओटी में स्थापित C-Arm मशीन के संचालन हेतु रेडियोलॉजी टेक्नीशियन को सम्बद्ध करने हेतु।</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>बाल रोग विभाग के अन्तर्गत Human Milk Bank की स्थापना हेतु।</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>Internal Development Committee गठित करते हुए विश्वविद्यालय के समस्त विभागों में मॉडिफिकेशन/अतिरिक्त कन्सट्रक्शन के कार्य करवाए जाने के संबंध में।</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>विश्वविद्यालय की ओपीडी में प्रतिदिन चिकित्सा हेतु आने वाले मरीजों, वरिष्ठ नागरिक एवं स्टाफ हेतु ओपीडी पर्चो का अलग–अलग कलर निर्धारित करने के संबंध में।</td></tr>
<tr><td>7.</td><td>विश्वविद्यालय के समस्त आई0सी0यू0, ओटी, वार्ड एवं विभिन्न कार्यालयों में वितरित किए गए मोबाईल फोन एवं सीयूजी सिम के संबंध में Inter Department Reference पॉलिसी निर्धारित करने के संबंध में।</td></tr>
<tr><td>8.</td><td>विश्वविद्यालय में स्थापित इमरजेन्सी लैब का नामकरण पैथोलॉजी विभाग की पूर्व विभागाध्यक्ष स्व0 डॉ0 पिंकी पाण्डेय के नाम से किये जाने के संबंध में।</td></tr>
<tr><td>9.</td><td>दंत विभाग में 06 माह का आब्जर्वरशिप प्रोग्राम प्रारम्भ करने के संबंध में।</td></tr>
<tr><td>10.</td><td>ब्लड बैंक TTI लैब में ID-NAT मशीन (नवीन उपकरण) की स्थापना हेतु M/s POCT Service द्वारा नवीनीकरण कार्य का प्रस्ताव।</td></tr>
<tr><td>11.</td><td>स्कालरशिप हेतु नामित विद्यार्थियों/यू0जी0 विद्यार्थी एवं जे0आर0 हेतु AEBAS रजिस्ट्रेशन की आवश्यक्ता पर निर्णयार्थ।</td></tr>
<tr><td>12.</td><td>ओपीडी में दवाईयों का वितरण 05 दिन के स्थान पर 07 दिवस हेतु किए जाने के संबंध में ।</td></tr>
<tr><td>13.</td><td>चिकित्सालय में पैदा होने वाले बच्चों को JSSK के माध्यम से जॉचे निःशुल्क प्रदान करने हेतु।</td></tr>
<tr><td>14.</td><td>विश्वविद्यालय के रेडियोडायग्नोसिस विभाग में मैमोग्राफी जॉच हेतु निर्धारित शुल्क को स्वीकृति प्रदान करने हेतु।</td></tr>
<tr><td>15.</td><td>विश्वविद्यालय के द्वारा नियमित नई जॉचों हेतु शुल्क निर्धारण करने के संबंध में।</td></tr>
<tr><td>16.</td><td>मेडिसिन वार्ड के मेल एवं फिमेल वार्ड के बेड पर मरीजों की संख्या उपलब्ध बेड से अधिक होने पर निर्णयार्थ।</td></tr>
<tr><td>17.</td><td>विभागाध्यक्ष यूरोलॉजी विभाग के द्वारा सुपर स्पेशिलिटी ओटी की सेवाएँ शुरू करने के संबंध में।</td></tr>
</table>

दीपक वर्मा
कुलसचिव

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति

<table>
<tr>
<td></td>
<td>
<table>
<tr><td>18.</td><td>ओल्ड ओपीडी के सीवीटीएस आईसीयू एवं कार्डियोलॉजी आईसीयू के बाहर कॉमन वॉशरूम को महिला रोगी एवं पुरूष रोगी के प्रयोगार्थ के संबंध में।</td></tr>
<tr><td>19.</td><td>चिकित्सालय में मरीज के तीमारदार(अधिकतम 02) को किफायती दर रू0 20/– में पेशेन्ट किचिन से भोजन उपलब्ध कराने के संबंध में।</td></tr>
<tr><td>20.</td><td>मेसर्स अनिल सर्जिकल के द्वारा चिकित्सालय के आईसीयू विभाग में पीसीटी टेस्ट हेतु Europium Immunoassay System को निःशुल्क स्थापित करने के संबंध में।</td></tr>
<tr><td>21.</td><td>प्लास्टिक सर्जरी विभाग के विभागाध्यक्ष के द्वारा प्रस्तुत विभिन्न विभागीय बिंदु पर निर्णयार्थ।</td></tr>
<tr><td>22.</td><td>अस्थि रोग विभाग के ओ0टी0 के दो कक्षों को मॉडयूलर ओ0टी0 में परिवर्तित किये जाने के संबंध में।</td></tr>
</table>
विश्वविद्यालय के हॉस्पिटल बोर्ड की द्वितीय बैठक दिनांक 16.04.2026 का कार्यवृत्त पर अवलोकनार्थ रक्षित है।

प्रस्तावः हॉस्पिटल बोर्ड की द्वितीय बैठक दिनांक 16.04.2026 में की गई संस्तुतियों पर मा0 कार्य परिषद अनुमोदन प्रदान करना चाहें।
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2"><u>कार्य परिषद का निर्णयः</u>– हॉस्पिटल बोर्ड की द्वितीय बैठक दिनांक 16.04.2026 में की गई संस्तुतियों पर मा0 कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।</td>
</tr>
<tr>
<td><u>एजेण्डा बिन्दु 15–11</u>
विश्वविद्यालय के ट्रामा बिल्डिंग में स्थापित सी0टी0 स्कैन मशीन एवं प्रस्तावित एम0आर0आई0 की ऑन साइट रिपोर्टिंग/टेली रिपोर्टिंग एवं USG/Doppler USG/USG Guided Biopsy/Drainage/ FNAC इत्यादि हेतु रेडियोलॉजिस्ट की सेवा प्राप्ति विषयक।</td>
<td><u>प्रस्तावना :</u> अवगत कराना है कि हॉस्पिटल बोर्ड की प्रथम बैठक दिनांक 26.11.2025 में प्राप्त संस्तुति के कम में कार्यालय आदेश संख्याः 1075/178/ एचबी/एमएस/यूपीयूएमएस/2025 –26 दिनांक 04 फरवरी, 2026 के माध्यम से विश्वविद्यालय में जब तक नियमित रेडियोलॉजिस्ट की नियुक्ति नहीं हो जाती तब तक के लिए ओपेन सर्विस टेंडर/वाक इन इंटरव्यू के माध्यम से रेडियोलॉजिस्ट की सेवा लिए जाने हेतु समिति का गठन किया गया था। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक की अध्यक्षता में गठित 06 सदस्यीय समिति द्वारा जारी कार्यवृत्त दिनांक 07.02.2026 में प्रस्तुत प्रस्ताव को हॉस्पिटल बोर्ड की द्वितीय बैठक दिनांक 16.04.2026 में निर्णय हेतु प्रस्तुत किया गया।
<u>हॉस्पिटल बोर्ड का निर्णय :–</u> हॉस्पिटल बोर्ड के द्वारा 06 सदस्यीय समिति द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर निम्नलिखित संस्तुतियॉं प्रदान की गयी :–

मरीज हित में विश्वविद्यालय में रेडियोलॉजिस्ट की आवश्यकता को देखते हुए वाक इन इन्टरव्यू के माध्यम से रेडियोलॉजिस्ट की संविदा पर नियुक्ति करने पर असिस्टेंट प्रोफेसर(संविदा) को नियत वेतन रू0 1,20,000/–की धनराशि प्रदान की जाएगी। उक्त वेतन के अतिरिक्त रेडियोलॉजिस्ट को चिकित्सालय में आने–जाने हेतु conveyance incentive रूप में रू0 1000/– धनराशि का प्रतिदिन भुगतान किया जाएगा।
यदि उक्तानुसार संविदा पर फुल टाईम (08 घंटे) रेडियोलॉजिस्ट की नियुक्ति नहीं हो पाये तो अल्ट्रासाउण्ड/एक्सरे/सी0टी0 स्कैन के रिपोर्टिंग हेतु रेडियोलॉजिस्ट की पार्ट टाईम सेवाएं ली जा सकती हैं, जिसमें 04 घंटे की सेवा प्रतिदिन उपलब्ध कराने पर रू 5000/– (inclusive of conveyance incentive) मात्र पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा।

</td>
</tr>
</table>

दीपक वर्मा
कुलसचिव

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति

	3. आकस्मिक परिस्थितियॉं (लाइफ सेविंग एवं लिम्ब सेविंग) की स्थिति में रेडियोलॉजिस्ट को बुलाए जाने पर रेडियोलॉजिस्ट को प्रति विजिट–प्रति USG रू0 500 की धनराशि का भुगतान किया जाएगा। 4. बिंदु संख्या 01 एवं 02 में दी गयी व्यवस्था के अन्तर्गत रेडियोलॉजिस्ट की सेवा प्राप्त न होने की स्थिति में रेडियोलॉजिस्ट द्वारा एक्सरे/सी0टी0 स्कैन की रिपोर्टिंग टेली रिपोर्टिंग के माध्यम से भी की जा सकती है जिसके लिए प्रति रिर्पोटिंग एम0आर0आई0/सी0टी0 स्कैन हेतु रू0 300 एवं एक्सरे हेतु रू0 50 की दर से भुगतान किया जाएगा। 5. किसी भी Treating consultant द्वारा परामर्श के उपरान्त आवश्यकतानुसार अल्ट्रासाउण्ड करवाने हेतु सीधे रेडियोलॉजिस्ट को भेजा जा सकता है। साथ ही M.O. द्वारा भी स्क्रीनिंग अल्ट्रसाउण्ड करने के उपरान्त आवश्यकतानुसार रेडियोलॉजिस्ट को रेफर किया जा सकता है। 6. प्रतिदिन रेडियोलाजिस्ट द्वारा किए गये अल्ट्रासाउण्ड की लॉगबुक का रेडियोलॉजी विभाग के द्वारा रख–रखाव किया जायेगा तथा विभागाध्यक्ष, रेडियोलॉजी द्वारा सत्यापन के उपरान्त चिकित्सा अधीक्षक के माध्यम से भुगतान हेतु वित विभाग को प्रेषित किया जाएगा। 7. संलग्नक लिस्ट में बिन्दु संख्या–01 पर वर्णित स्क्रीनिंग अल्ट्रासाउण्ड पूर्व की भॉंति विश्वविद्यालय में M.O. द्वारा किये जाते रहेंगे तथा बिन्दु संख्या–05 से 23 पर वर्णित अल्ट्रासाउण्ड रेडियोलॉजिस्ट द्वारा किये जायेंगे। **प्रस्ताव** : हॉस्पिटल बोर्ड की द्वितीय बैठक दिनांक 16.04.2026 में की गई उपर्युक्त संस्तुतियों पर मा0 कार्य परिषद अनुमोदन प्रदान करना चाहें।
कार्य परिषद का निर्णयः– हॉस्पिटल बोर्ड की द्वितीय बैठक दिनांक 16.04.2026 में की गई उपर्युक्त संस्तुतियों पर मा0 कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।	
एजेण्डा बिन्दु 15–12 **कार्य परिषद की चौदहवीं बैठक के उपरांत विश्वविद्यालय द्वारा जारी किये गए विभिन्न कार्यालय आदेशो/पत्रों को मा0 कार्यपरिषद द्वारा अवलोकित किये जाने के सम्बन्ध में।**	**प्रस्तावनाः** अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय की कार्य परिषद की चौदहबीं बैठक दिनांक 08.12.2025 के उपरांत विश्वविद्यालय के सुचारू संचालन के दृष्टिगत मा0 कुलपति महोदय द्वारा विभिन्न कार्यालय आदेश निर्गत किये गये हैं, जिन्हें मा0 कार्य परिषद के समक्ष अवलोकन हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है। **नियमः** विश्वविद्यालय के सुचारू संचालन के दृष्टिगत उक्त कार्यालय आदेशों को निर्गत किया जाना आवश्यक है। **प्रस्ताव का आधारः** प्रदत्त निर्देशों के अनुपालन में मा0 कुलपति महोदय द्वारा निर्गत किये गये कार्यालय आदेशों को एजेन्डा बिन्दु के रूप में मा0 कार्य परिषद के अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है। उक्त कार्यालय आदेश अलग बुकलेट में प्रस्तुत हैं। **प्रस्ताव पर अपेक्षित अनुमोदनः** मा० कुलपति महोदय द्वारा जारी किये गए विभिन्न कार्यालय आदेशो/पत्रों से मा0 कार्य परिषद अवलोकित होना चाहें।
कार्य परिषद का निर्णयः– विश्वविद्यालय द्वारा जारी किये गए विभिन्न कार्यालय आदेशो/पत्रों को मा0 कार्य परिषद द्वारा अवलोकित किया गया।	

दीपक वर्मा
कुलसचिव

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति

एजेण्डा बिन्दु 15–13 **उ0प्र0 पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0 द्वारा अवशेष 67 सुरक्षा कार्मिकों की सेवायें उपलब्ध न कराये जाने के दृष्टिगत विश्वविद्यालय स्तर पर 324 अतिरिक्त सुरक्षा सेवाओं हेतु निकाली गयी निविदा में अवशेष 67 सुरक्षाकर्मी को सम्मिलित करते हुए (324+67) 391 सुरक्षा कर्मी के संबंध में विश्वविद्यालय स्तर पर सम्पादित की जा रही निविदा की कार्यवाही पर मा0 कार्य परिषद द्वारा कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किये जाने के संबंध में।**	**प्रस्तावना** – अवगत कराना है कि मा0 कार्य परिषद द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन के कम में 100 अतिरिक्त सुरक्षा कर्मी उ0प्र0 पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0 के माध्यम से लिये जाने थे। उ0प्र0 पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0 द्वारा मात्र 33 अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी ही उपलब्ध कराये गये हैं। अवशेष 67 सुरक्षा कर्मी उपलब्ध कराये जाने में उनके द्वारा असमर्थता व्यक्त की गयी है। विश्वविद्यालय के विस्तार के दृष्टिगत परिसर की सुरक्षा व्यवस्था हेतु मा0 कार्य परिषद द्वारा 324 अतिरिक्त सुरक्षाकर्मियों को निविदा के माध्यम से भरे जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया जा चुका है। अतः 324 सुरक्षा कर्मियों हेतु निकाली गयी निविदा में उ0प्र0 पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0 द्वारा 67 सुरक्षाकर्मी उपलब्ध कराने में असमर्थता व्यक्त किये जाने के दृष्टिगत अवशेष 67 सुरक्षा कर्मियों को भी निविदा में सम्मिलित करते हुए (324+67) 391 सुरक्षा कर्मियों हेतु निविदा की कार्यवाही प्रचलित कर दी गयी है। **पृष्ठभूमि** – अवगत कराना है कि मा0 कार्य परिषद की तेरहवीं बैठक दिनांक 11.10.2025 के टेबल एजेन्डा–6 में सुरक्षा कार्मिकों की संख्या में वृद्धि हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था जिसमें मा0 कार्य परिषद द्वारा 100 अतिरिक्त सुरक्षा कार्मिकों की संख्या में वृद्धि हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया था। अवगत कराना है कि उ0प्र0 पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0 द्वारा 100 सुरक्षा कार्मिकों के सापेक्ष मात्र 33 सुरक्षा कर्मी ही उपलब्ध कराये गये हैं। अवशेष 67 सुरक्षाकर्मी उपलब्ध कराये जाने हेतु सेवा प्रदाता फर्म द्वारा असमर्थता व्यक्त की गयी है। उल्लेखनीय है कि मा0 कार्य परिषद द्वारा हास्पिटल बोर्ड की संस्तुतियों पर अनुमोदन प्रदान करते हुए विश्वविद्यालय परिसर के विस्तार को देखते हुए अतिरिक्त 324 सुरक्षा कर्मियों को निविदा के माध्यम से भरे जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया जा चुका है। अवगत कराना है कि उ0प्र0 पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0 द्वारा 67 सुरक्षाकर्मी उपलब्ध कराये जाने में असमर्थता व्यक्त किये जाने के दृष्टिगत विश्वविद्यालय द्वारा 324 सुरक्षा कर्मी हेतु निकाली गयी निविदा में अवशेष 67 सुरक्षा कर्मियों को सम्मिलित करते हुए विश्वविद्यालय स्तर से (324 + 67) 391 सुरक्षा कर्मी की निविदा की कार्यवाही प्रचलित कर दी गयी है जिस पर मा0 कार्य परिषद का कार्योत्तर अनुमोदन अपेक्षित है। **नियम**– विश्वविद्यालय परिसर की सुरक्षा व्यस्था के दृष्टिगत 324 सुरक्षाकर्मी हेतु निकाली गयी निविदा में अतिरिक्त 67 सुरक्षाकर्मियों को सम्मिलित किये जाने पर विचार किया जा सकता है। **प्रस्ताव का आधार** – विश्वविद्यालय परिसर की सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत उक्त प्रकरण मा0 कार्य परिषद के समक्ष कार्योत्तर अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है। **प्रस्ताव**– उ0प्र0 पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0 द्वारा 67 सुरक्षाकर्मी उपलब्ध कराये जाने में असमर्थता व्यक्त किये जाने के दृष्टिगत 324 सुरक्षा कर्मियों हेतु निकाली गयी निविदा में अवशेष 67 सुरक्षाकर्मी को सम्मिलित करते हुए विश्वविद्यालय स्तर पर (324+67) 391

दीपक वर्मा
कुलसचिव

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति

	सुरक्षाकर्मियों हेतु सम्पादित की जा रही निविदा संबंधी कार्यवाही से अवगत होते हुए मा0 कार्य परिषद कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान करना चाहें।

कार्य परिषद का निर्णयः– उ0प्र0 पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0 द्वारा 67 सुरक्षाकर्मी उपलब्ध कराये जाने में असमर्थता व्यक्त किये जाने के दृष्टिगत 324 सुरक्षा कर्मियों हेतु निकाली गयी निविदा में अवशेष 67 सुरक्षाकर्मी को सम्मिलित करते हुए विश्वविद्यालय स्तर पर (324+67) 391 सुरक्षाकर्मियों हेतु सम्पादित की जा रही निविदा संबंधी कार्यवाही से अवगत होते हुए मा0 कार्य परिषद द्वारा कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु 15–14 **श्री बालेंद्र तिवारी (लाइब्रेरियन ग्रेड–2) एवं श्री गौरव कुमार बाजपेई (लाइब्रेरियन क्लर्क) के मध्य दिनांक 26.02.2026 को हुई मारपीट के प्रकरण में गठित जांच समिति की आख्या के आधार पर श्री बालेन्द्र तिवारी, लाइब्रेरियन ग्रेड–2 के विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 में विहित प्राविधानों के अनुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ किये जाने के संबंध में।**	अवगत कराना है कि केन्द्रीय पुस्तकालय में तैनात श्री बालेंद्र तिवारी (लाइब्रेरियन ग्रेड–2) एवं श्री गौरव कुमार बाजपेई (लाइब्रेरियन क्लर्क) के मध्य दिनांक 26.02.2026 को हुई मारपीट के प्रकरण की जांच हेतु कार्यालय आदेश सं0 114/कुलानुशासक/जाँच–08/यूपीयूएमएस/2025–26 दिनांक 09.03.2026 के द्वारा 04 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। उक्त समिति द्वारा दिनांक 18.03.2026 को संबंधित प्रकरण की जाँच कर जाँच आख्या प्रस्तुत की गई। जांच समिति का निष्कर्ष निम्नवत् हैः– 1. CCTV फुटेज में दोनों ही पक्ष बराबर से झगड़ते व हाथापाई करते नजर आए। दोनों लोग हाथापाई करते करते कुछ देर के लिए Circulation काउन्टर के अंदर चले गए थे, जहां CCTV Coverage नहीं था। संभावना है कि वहाँ पर मारपीट से एक पक्ष (श्री गौरव कुमार बाजपेई) को शारीरिक क्षति पहुंची। 2. इस आपसी मारपीट में श्री गौरव कुमार बाजपेई को शारीरिक क्षति पहुंची। व उनके कपड़े फाड़ डाले गए। UPUMS चिकित्सालय में मेडिकल में (MLC-942/2026) उनके बाएं कान व बाएं हाथ में चोट की पुष्टि हुई। जांच समिति के अनुसार श्री गौरव कुमार बाजपेई को हुई शारीरिक क्षति की जिम्मेदारी श्री बालेंद्र तिवारी की है। 3. सीनियर Librarian श्री विनोद पटेल व श्री भूप सिंह (दफ्तरी लाइब्रेरी) के बयानों से यह साबित होता है कि 26/02/2026 को लाइब्रेरी में हुई मारपीट की घटना की पृष्ठभूमि 25/02/2026 को श्री बालेंद्र तिवारी की ड्यूटी पर अनुपस्थित रहना ही था। उल्लेखनीय है कि जाँच समिति के आख्या एवं निष्कर्ष के आधार पर दोषी कार्मिक (श्री बालेन्द्र तिवारी, लाइब्रेरियन ग्रेड–2) के विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 में विहित प्राविधानों के अनुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ करने के संबंध में निर्णय लिये जाने हेतु प्रकरण मा0 कार्य परिषद के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। **प्रस्तावः** जाँच समिति के आख्या एवं निष्कर्ष के आधार पर दोषी कार्मिक (श्री बालेन्द्र तिवारी, लाइब्रेरियन ग्रेड–2) के विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 में विहित प्राविधानों के अनुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ करने के संबंध में मा0 कार्य परिषद निर्णय लेना चाहें। प्रकरण की जॉच

दीपक वर्मा
कुलसचिव

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति

<table>
<tr><td></td><td>हेतु मा0 कार्य परिषद जॉच अधिकारी एवं प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नामित करना चाहें।</td></tr>
<tr><td colspan="2"><u>कार्य परिषद का निर्णयः</u>— मा0 कार्य परिषद द्वारा जाँच समिति की आख्या एवं निष्कर्ष के आधार पर दोषी कार्मिक (श्री बालेन्द्र तिवारी, लाइब्रेरियन ग्रेड–2) के विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 में विहित प्राविधानों के अनुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ करने का निर्णय लेते हुए प्रकरण की जॉच हेतु डॉ0 संदीप कुमार, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, कम्युनिटी मेडिसिन विभाग को जाँच अधिकारी तथा श्री अतुल कुमार वर्मा, सहायक प्रशासनिक अधिकारी को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नामित करने के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।</td></tr>
<tr><td><u>एजेण्डा बिन्दु 15–15</u>
पूर्व में निरस्त नियुक्ति पत्र को पुनः प्रभावी किए जाने, समयावधि विस्तार प्रदान किए जाने एवं अनन्तिम योगदान आख्या की स्वीकृति के संबंध में मा0 कार्य परिषद के कार्योत्तर अनुमोदन विषयक।</td><td>अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय द्वारा विज्ञापन संख्या UPUMS/ACAD/42/2024-25, दिनांक 05.10.2024 के क्रम में डॉ० सुमित यादव को नियुक्ति पत्र संख्या 2673, दिनांक 23.10.2025 के माध्यम से असिस्टेंट प्रोफेसर (बायोकेमिस्ट्री) पद पर वेतनमान 101500–167400, वेतन मैट्रिक्स लेवल–12 में नियुक्त किया गया था। निर्धारित अवधि में कार्यभार ग्रहण न करने के कारण उक्त नियुक्ति पत्र निरस्त कर दिया गया था।
डॉ० सुमित यादव पूर्व में वीरांगना अवन्तीबाई लोधी ऑटोनॉमस स्टेट मेडिकल कॉलेज, एटा में नियमित पद पर कार्यरत थे तथा कार्यमुक्ति शासन स्तर पर लंबित रहने के कारण समय से कार्यभार ग्रहण नहीं कर सके।
डॉ0 सुमित यादव द्वारा पत्र दिनांक 21.04.2026 के माध्यम से अवगत कराया गया कि वीरांगना अवन्तीबाई लोधी ऑटोनॉमस स्टेट मेडिकल कॉलेज, एटा से उन्हें आदेश सं0 724 दिनांक 21.04.2026 के द्वारा दिनांक 21.04.2026 से कार्यमुक्त किया गया है।
दिनांक 22.04.2026 को मा० कुलपति महोदय की अध्यक्षता में मा० कार्य परिषद की आगामी बैठक की तैयारी हेतु आयोजित बैठक में विश्वविद्यालय के बायोकेमिस्ट्री विभाग में चयनित डॉ० सुमित यादव द्वारा निर्धारित समयावधि 22.01.2026 तक कार्यभार ग्रहण न करने और दिनांक 21.04.2026 को वीरांगना अवन्तीबाई लोधी ऑटोनॉमस स्टेट मेडिकल कॉलेज, एटा से कार्यमुक्त होने के प्रकरण का संज्ञान लेते हुए विचार–विमर्श किया गया तथा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या 35015/2/93–Estt-(D), दिनांक 09.08.1995 के बिंदु 02 में निहित प्रावधानों के आलोक में, विशेष परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए विश्वविद्यालय द्वारा पत्र संख्या 4402, दिनांक 27.02.2026 के माध्यम से पूर्व में निरस्त नियुक्ति पत्र को पुनः प्रभावी करने, तथा दिनांक 22.04.2026 तक (कुल 06 माह) समयावधि विस्तार प्रदान करने का निर्णय मा० कार्यपरिषद से कार्योत्तर अनुमोदन की प्रत्याशा में लिया गया।
उक्त के क्रम में डॉ० सुमित यादव द्वारा दिनांक 22.04.2026 को बायोकेमिस्ट्री विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत की गई है तथा उन्हें दिनांक 22.04.2026 के अपरान्ह् से कार्यभार ग्रहण कराए करा दिया गया है।
नियमः कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 09.08.1995 के अनुसार विशेष परिस्थितियों में</td></tr>
</table>

दीपक वर्मा
कुलसचिव

प्रो० (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति

	अधिकतम 06 माह तक समयावधि विस्तार अनुमन्य है। **प्रस्तावः** मा० कार्यपरिषद से निम्नलिखित बिंदुओं पर कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किए जाने का अनुरोध है– • विश्वविद्यालय के पत्र संख्या 4402, दिनांक 27.02.2026 द्वारा पूर्व में निरस्त नियुक्ति पत्र संख्या 2673, दिनांक 23.10.2025 को पुनः प्रभावी किए जाने की स्वीकृति। • डॉ० सुमित यादव को विश्वविद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु दिनांक 22.04.2026 तक अतिरिक्त समयावधि विस्तार (कुल 06 माह) प्रदान किए जाने की स्वीकृति। • डॉ० सुमित यादव द्वारा दिनांक 22.04.2026 को बायोकेमिस्ट्री विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर प्रस्तुत अनन्तिम (Provisional) योगदान आख्या को स्वीकार किए जाने की स्वीकृति।
कार्य परिषद का निर्णयः– मा0 कार्य परिषद द्वारा उपर्युक्त प्रस्ताव के तीन बिंदुओं पर स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।	
एजेण्डा बिन्दु 15–16 **ओपन टेण्डर के माध्यम से CBT परीक्षा संचालन हेतु सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन किये जाने के साथ–साथ किसी अन्य प्रतिष्ठित संस्थान / UPPSC / UPSSSC के माध्यम से चयन की कार्यवाही हेतु द्वितीय विकल्प के रूप में रखे जाने के संबंध में।**	अवगत कराना है कि पूर्व में ओपन टेण्डर के माध्यम से चयनित फर्म द्वारा आयोजित करायी गयी सी0बी0टी0 परीक्षा पर विश्वविद्यालय स्तर से जॉच प्रचलन में है। इसलिए किसी अन्य प्रतिष्ठित संस्थान/यूपीपीएससी/यूपीएसएसएससी के माध्यम से चयन की कार्यवाही हेतु द्वितीय विकल्प के रूप में रखे जाने की आवश्यकता है। **प्रस्तावः** अतः ओपन टेण्डर के माध्यम से सी0बी0टी0 परीक्षा संचालन हेतु सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन किये जाने के साथ–साथ किसी अन्य प्रतिष्ठित संस्थान/यूपीपीएससी/यूपीएसएसएससी के माध्यम से चयन की कार्यवाही हेतु द्वितीय विकल्प के रूप में रखे जाने के संबंध में मा0 कार्य परिषद अनुमति/अनुमोदन प्रदान करना चाहें।
कार्य परिषद का निर्णयः– ओपन टेण्डर के माध्यम से सी0बी0टी0 परीक्षा संचालन हेतु सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन किये जाने के साथ–साथ किसी अन्य प्रतिष्ठित संस्थान/यूपीपीएससी/यूपीएसएसएससी के माध्यम से चयन की कार्यवाही हेतु द्वितीय विकल्प के रूप में रखे जाने के संबंध में मा0 कार्य परिषद द्वारा अनुमति/अनुमोदन प्रदान किया गया।	
एजेण्डा बिन्दु 15–17 **श्री सुनील कुमार सेक्सेना, लेक्चरर, बी0आर0आई0टी0, पैरामेडिकल विज्ञान संकाय के विरूद्ध श्री धीरज कुमार, पैरामेडिकल बी0आर0आई0टी0, बैच 2022 के छात्र, पैरामेडिकल द्वारा दिनांक 14.11.2025 को नौकरी दिलवाने के नाम पर रू0 3.00 लाख लिये जाने की शिकायत के संबंध में प्रकरण की प्रारम्भिक जॉच हेतु गठित समिति की आख्या के क्रम में जाँच अधिकारी एवं प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नामित किये जाने के संबंध में।**	**प्रस्तावनाः** श्री सुनील कुमार सेक्सेना, लेक्चरर, बी0आर0आई0टी0, पैरामेडिकल विज्ञान संकाय के विरूद्ध श्री धीरज कुमार, पैरामेडिकल बी0आर0आई0टी0, बैच 2022 के छात्र, पैरामेडिकल द्वारा दिनांक 14.11.2025 को नौकरी दिलवाने के नाम पर रू0 3.00 लाख लिये जाने की शिकायत की गयी। प्रकरण में प्रारम्भिक जॉच हेतु गठित जॉच समिति के आख्या के आलोक में तत्काल प्रभाव से निलम्बन आदेश पत्रांक–79/UPUMS/05/Estt.-4/Para/PersonalFile/2026-27 दिनांक 08.04.2026 द्वारा निलम्बित किया जा चुका है। नियमानुसार श्री सुनील कुमार सेक्सेना, लेक्चरर को आरोप पत्र निर्गत करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। प्रकरण की जॉच हेतु जॉच अधिकारी नियुक्त किया जाना है। **पृष्ठभूमिः** श्री सुनील कुमार सेक्सेना, लेक्चरर, बी0आर0आई0टी0, पैरामेडिकल विज्ञान संकाय के विरूद्ध श्री धीरज कुमार, पैरामेडिकल बी0आर0आई0टी0, बैच 2022 के छात्र, पैरामेडिकल द्वारा दिनांक 14.11.2025 को नौकरी दिलवाने के नाम पर रू0 3.00 लाख लिये जाने

दीपक वर्मा
कुलसचिव

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति

	की शिकायती पत्र मय साक्ष्य के रूप में श्री सुनील कुमार सेक्सेना की पत्नी के खाते में लेन–देन की छायाप्रति एवं ऑडियो पेन ड्राइव प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण की जॉच हेतु 03 सदस्यीय जॉच समिति कार्यालय आदेश सं0 कु0का0/2025सीडी (10–41)/ 2025–26/3808 दिनांक 17, नवम्बर, 25 द्वारा गठित किया गया। जॉच समिति द्वारा निम्नवत् जॉच आख्या प्रस्तुत की गयी:– 1. बी0आर0आई0टी0 अध्यापक श्री सुनील कुमार सेक्सेना द्वारा छात्र धीरज कुमार से 03 लाखा रूप्ये ऑनलाईन अलग–अलग किश्तों में अपनी पत्नी श्रीमती अभिलाषा सिन्हा के HDFC खाता सं0 50100449973821 में लिये गये जिसे छात्र के पिता के खाते एवं अन्य से हस्तांतरित किया गया, जिसकी पुष्टि जॉच के दौरान श्री सुनील कुमार सेक्सेना द्वारा स्वयं लिखित रूप में उधार के तौर की गई। 2. अध्यापक श्री सुनील कुमार सेक्सेना द्वारा छात्र को रू0 51,000 (इंक्यावन हजार) वापस देने का कथन लिखित रूप में किया गया जिसकी पुष्टि छात्र की धीरज कुमार द्वारा की गई। 3. जॉच प्रकिया के दौरान छात्र धीरज कुमार द्वारा अध्यापक श्री सुनील कुमार सेक्सेना के माता पिता से किसी भी प्रकार परिचय अथवा सम्बन्ध से लिखित रूप से इनकार किया गया। 4. अन्त में अध्यापक श्री सुनील कुमार सेक्सेना द्वारा अध्यक्ष जॉच समिति को सम्बोधित लिखित कथन में स्पष्ट किया गया कि दिनांक 17.01.2026 तक बाकी बची रकम (3,00000 – 51,000) = रू0 2,49,000/– वापस कर दी जायेगी। यह भी स्पष्ट किया कि बाकी बची रकम यदि लिखित दिवस तक वापस नहीं की जाती है तो आप किसी भी कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होंगे। समिति की आख्या/निष्कर्ष में तथ्यों के आधार पर यह साबित होता है कि श्री सुनील कुमार सेक्सेना, लेक्चरर बी0आर0आई0टी0 द्वारा बी0आर0आई0टी0 बैच–2022 के छात्र धीरज कुमार से रू0 3,00,000/– की धनराशि किश्तों में अपनी पत्नी श्रीमती अभिलाषा को HDFC खाता सं0 50100449973821 में ऑनलाईन ली गई जिसमें रू0 51,000/– की धनराशि छात्र को लौटाई गई है। श्री सुनील कुमार सेक्सेना, लेक्चरर द्वरा दिनांक 12.01.2026 को अवशेष धनराशि रू0 2,49,000/– छात्र को दिनांक 17.01.2026 तक वापस करने का लिखित बयान दिया गया। उक्त प्रकरण में जॉच समिति द्वारा श्री सुनील कुमार सेक्सेना, लेक्चरर, बी0आर0आई0टी0 को छात्र धीरज कुमार से रू0 3,00,000/– की धनराशि लेने का दोषी पाया गया। **नियम/कृत कार्यवाही/निष्कर्ष/निर्णय** श्री सुनील कुमार सेक्सेना, लेक्चरर, बी0आर0आई0टी0, पैरामेडिकल विज्ञान संकाय के विरूद्ध श्री धीरज कुमार, पैरामेडिकल बी0आर0आई0टी0, बैच 2022 के छात्र, पैरामेडिकल द्वारा दिनांक 14. 11.2025 को नौकरी दिलवाने के नाम पर रू0 3.00 लाख लिये जाने की शिकायत/प्रकरण अत्यन्त गम्भीर प्रकृति का है दीर्घ दण्ड देने का औचित्य पाया गया है। उक्त प्रकरण की प्रारम्भिक जॉच हेतु कार्यालय आदेश सं0 कु0का0/2025सीडी (10–41)/ 2025–26/3808 दिनांक 17,

दीपक वर्मा
कुलसचिव

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति

	नवम्बर, 25 द्वारा 03 सदस्यीय जॉच समिति गठित किया गया। जॉच समिति द्वारा श्री सुनील कुमार सेक्सेना, लेक्चरर, बी0आर0आई0टी0 को छात्र धीरज कुमार से रू0 3,00,000/– की धनराशि लेने का दोषी पाया गया। प्रकरण अत्यन्त गम्भीर प्रकृति का है तथा संबंधित प्रकरण Conflict of Interest की श्रेणी की दृष्टिगत् गठित जॉच समिति के आख्या के आलोक में तत्काल प्रभाव से निलम्बन आदेश पत्रांक–79/UPUMS/05/Estt.-4/Para/Personal File/2026-27 दिनांक 08.04.2026 द्वारा तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया गया। **<u>प्रस्ताव</u>** श्री सुनील कुमार सेक्सेना, लेक्चरर, बी0आर0आई0टी0, पैरामेडिकल विज्ञान संकाय के विरूद्ध श्री धीरज कुमार, पैरामेडिकल बी0आर0आई0टी0, बैच 2022 के छात्र, पैरामेडिकल द्वारा दिनांक 14.11.2025 को नौकरी दिलवाने के नाम पर रू0 3.00 लाख लिये जाने की शिकायती पत्र के कम में प्रकरण में प्रारम्भिक जॉच समिति के आख्या के कम में शिकायत/प्रकरण अत्यन्त गम्भीर प्रकृति व Conflict of Interest की श्रेणी के आलोक में श्री सुनील कुमार सेक्सेना, लेक्चरर, बी0आर0आई0टी0, पैरामेडिकल विज्ञान संकाय को पत्रांक–79/UPUMS/05/Estt.-4/Para/PersonalFile/2026.27 दिनांक 08.04.2026 के द्वारा तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जा चुका है। प्रकरण की जॉच हेतु मा0 कार्य परिषद जॉच अधिकारी एवं प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नामित करना चाहें।

<u>कार्य परिषद का निर्णयः</u>– मा0 कार्य परिषद प्रकरण में कृत कार्यवाही से अवगत हुई। प्रकरण में श्री सुनील कुमार सेक्सेना, लेक्चरर, बी0आर0आई0टी0, पैरामेडिकल विज्ञान संकाय की जॉच हेतु डॉ0 मणि कृष्णा, प्रोफेसर, पैथोलॉजी विभाग को जाँच अधिकारी तथा श्रीमती प्रीति श्रीवास्तव, प्रशासनिक अधिकारी को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नामित करने के प्रस्ताव पर मा0 कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। मा0 कार्य परिषद द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि संबंधित छात्र के विरूद्ध भी कार्यवाही की जाये।

<u>एजेण्डा बिन्दु 15–18</u> **विश्वविद्यालय के कार्मिकों को एम0ए0सी0पी0 अनुमन्य किये जाने में आ रही कठिनाई के निवारण हेतु शासन से मार्गदर्शन प्राप्त किये जाने हेतु मा0 कार्य परिषद शासन को प्रकरण संदर्भित किये जाने के संबंध में।**	अवगत कराना है कि पूर्व में विश्वविद्यालय के गैर–शैक्षणिक कार्मिकों की एम0ए0सी0पी0 अनुमन्यता के संबंध में समीक्षा एवं पुनर्विचार किये जाने हेतु कार्य परिषद के समक्ष दसवीं बैठक दिनांक 29.07.2022, बारहवीं बैठक दिनांक 26.11.2024 एवं तेरहवीं बैठक दिनांक 11.10.2025 में प्रस्तुत किया गया था। मा0 कार्य परिषद की तेरहवीं बैठक में दिये गये निर्देश के क्रम में प्रकरण शासन को संदर्भित किया गया था, जिसके अनुक्रम में शासन द्वारा पत्र दिनांक 05.02.2026 के माध्यम से निर्देश दिये गये हैं कि उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा अधिनियम 2015 की धारा–22 में विहित व्यवस्था के क्रम में नियमानुसार कार्यवाही करने एवं प्रकरण के निस्तारण में आ रही कठिनाई के निस्तारण के संबंध में यदि मार्गदर्शन की आवश्कयता हो तो सुस्पष्ट आख्या शासन को संदर्भित किये जाने की अपेक्षा की गई है। इस संबंध में अवगत कराना है किः– • विश्वविद्यालय (पूर्ववर्ती उ0प्र0 ग्रामीण आयुर्विज्ञान संस्थान) में वर्ष 2016 से पूर्व गैर शैक्षणिक कार्मिकों को राज्य सरकार के अनुसार सेवा लाभ अनुमन्य होने के कारण एक ही ग्रेड वेतन में 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर ए0सी0आर0 में 'Satisfactory/Average' ग्रेडिंग होने पर ए0सी0पी0 अनुमन्य किये जाने की व्यवस्था लागू थी।

दीपक वर्मा
कुलसचिव

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति

	• वर्ष 2016 में संस्थान के विश्वविद्यालय में परिवर्तित होने के उपरान्त गैर शैक्षणिक कार्मिकों के सेवा लाभ एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ के अनुसार अनुमन्य किये गये जिसके फलस्वरूप एक ही ग्रेड वेतन में 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर एम0ए0सी0पी0 अनुमन्य किये जाने की व्यवस्था लागू हुई। एम0ए0सी0पी0 प्रदान किये जाने हेतु नियमानुसार ए0सी0आर0 में ग्रेडिंग बेंचमार्क 'Very Good' होना आवश्यक है। • विश्वविद्यालय में पूर्व से कार्यरत गैर–शैक्षणिक कार्मिकों को 'Satisfactory/Average' ग्रेडिंग प्राप्त हुई है। विश्वविद्यालय में पूर्व में राज्य सरकार की भांति ए0सी0पी0 व्यवस्था लागू थी जिसमें 'Satisfactory/Average' ग्रेडिंग का प्रभाव नहीं पडता था किन्तु वर्ष 2016 के पश्चात विश्वविद्यालय में एम0ए0सी0पी0 की व्यवस्था लागू है, जिसके कारण ए0सी0आर0 में 'Satisfactory/Average' ग्रेडिंग प्राप्त कार्मिकों को एम0ए0सी0पी0 अनुमन्य करने में कठिनाई उत्पन्न हो रही है। • विश्वविद्यालय द्वारा 'Satisfactory' ग्रेडिंग से प्रभावित कार्मिकों से की जा रही वसूली की कार्यवाही को अंतिम निर्णय लिये जाने तक रोक दिया गया। **प्रस्तावः** अतः विश्वविद्यालय के कार्मिकों को एम0ए0सी0पी0 अनुमन्य किये जाने में आ रही कठिनाई के निवारण हेतु शासन से मार्गदर्शन प्राप्त किये जाने के संबंध मा0 कार्य परिषद शासन को प्रकरण संदर्भित किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान करना चाहें।
<u>कार्य परिषद का निर्णयः</u>– विश्वविद्यालय के कतिपय कार्मिकों को पूर्व में 'Satisfactory/Average' ग्रेडिंग प्राप्त होने के कारण एम0ए0सी0पी0 अनुमन्य किये जाने में आ रही कठिनाई के निवारण हेतु शासन से मार्गदर्शन प्राप्त किये जाने हेतु प्रकरण शासन को संदर्भित किये जाने के संबंध में मा0 कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।	
<u>एजेण्डा बिन्दु 15–19</u> **विश्वविद्यालय के 850 KW रूफ टॉप सोलर प्लांट के रखरखाव हेतु निविदा प्रक्रिया में बरती गई घोर लापरवाही एवं उदासीनता के संबंध में श्री के0पी0 सिंह (अधिशासी अभियंता) एवं श्री सुनील कुमार (स्टोर कीपर) के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के संबंध में।**	अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय परिसर के विभिन्न भवनों में स्थापित 850 KW रूफ टॉप सोलर प्लांट के सुचारू संचालन एवं रखरखाव (One-time Maintenance तथा CMC) हेतु निविदा की कार्यवाही लंबे समय से लंबित होने के कारण संबंधित कार्मिकों, श्री के0पी0 सिंह, अधिशासी अभियंता, अभियंत्रण विभाग एवं श्री सुनील कुमार, स्टोर कीपर, सामग्री प्रबंधन विभाग को कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया। संबंधित कार्मिकों से प्राप्त स्पष्टीकरण का परीक्षण करने पर प्रकरण में उनकी भूमिका एवं बरती गई शिथिलता का विवरण निम्नवत् हैः– **<u>श्री के.पी. सिंह, अधिशासी अभियंता, अभियंत्रण विभागः</u>** इनके द्वारा 'Revised Tender Documents' तैयार करने में दिनांक 25.08.2025 से 25.09.2025 तक का समय लिया गया। एक तकनीकी विशेषज्ञ के रूप में पूर्व से स्थापित प्लांट के स्पेसिफिकेशन में संशोधन हेतु एक माह का समय तर्कसंगत नहीं पाया गया। साथ ही, इनके द्वारा प्रकरण का प्रभावी अनुश्रवण (Monitoring) न करने और उच्चाधिकारियों को विलम्ब के कारणों से समय पर अवगत नहीं कराना पाया गया, जो पर्यवेक्षकीय शिथिलता की श्रेणी में आता है।

दीपक वर्मा
कुलसचिव

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति

	<u>श्री सुनील कुमार, स्टोर कीपर, सामग्री प्रबंधन विभागः</u> पत्रावली दिनांक 10.10.2025 को प्राप्त होने के उपरांत इनके द्वारा पोर्टल पर श्रेणी खोजने की कार्यवाही दिनांक 19.12.2025 को की गई (लगभग 70 दिनों की निष्क्रियता)। इनके द्वारा तर्क दिया गया कि 'स्पेसिफिकेशन' में बार-बार संशोधन के कारण GeM पोर्टल पर श्रेणी उपलब्धता सर्च नहीं की जा सकी, 'आधारहीन' पाया गया, क्योंकि पोर्टल पर श्रेणी की खोज के लिए अंतिम स्पेसिफिकेशन की प्रतीक्षा अनिवार्य नहीं थी। यह कृत्य कार्य के प्रति घोर लापरवाही एवं अकर्मण्यता को दर्शाता है। • उक्त दोनों कार्मिकों का कृत्य 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक आचरण नियमावली, 1956' के नियम-3 के उपबंधों के प्रतिकूल है। • सोलर पैनल जैसे महत्वपूर्ण ऊर्जा संयंत्रों के रखरखाव में विलम्ब से न केवल राजकीय संपत्ति की क्षति होने, बल्कि इससे विश्वविद्यालय को होने वाली विद्युत बचत एवं राजस्व का भी नुकसान होने की संभावना उत्पन्न हुई। • प्रकरण में दिनांक 28.01.2026 को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे। इन दोनों कार्मिकों द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरणों को सक्षम स्तर से "Blame game without justification" मानते हुए अस्वीकार कर दिया गया है तथा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में इन दोनों कार्मिकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ करने हेतु प्रकरण मा0 कार्य परिषद के समक्ष विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है। **<u>प्रस्तावः</u>** 1. श्री के0पी0 सिंह, अधिशासी अभियंता, अभियंत्रण विभाग एवं श्री सुनील कुमार, स्टोर कीपर, सामग्री प्रबंधन विभाग के विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के प्रावधानों के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ करने हेतु मा0 कार्य परिषद अनुमोदन प्रदान करना चाहें। 2. मा0 कार्य परिषद प्रकरण की जांच हेतु जांच अधिकारी एवं प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नामित करना चाहें।
<u>कार्य परिषद का निर्णयः-</u> **मा0 कार्य परिषद द्वारा प्रकरण में विचार-विमर्श उपरांत श्री के0पी0 सिंह, अधिशासी अभियंता, अभियंत्रण विभाग एवं श्री सुनील कुमार, स्टोर कीपर, सामग्री प्रबंधन विभाग के विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के प्रावधानों के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ करने हेतु अनुमोदन प्रदान करते हुए प्रकरण में जाँच हेतु डॉ0 सोमेन्द्र पाल सिंह, प्रोफेसर, जनरल सर्जरी विभाग को जाँच अधिकारी तथा श्री अनिल कुमार पाल, प्रशासनिक अधिकारी को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नामित करने के प्रस्ताव पर मा0 कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।**	
<u>एजेण्डा बिन्दु 15-20</u> **विश्वविद्यालय के 500 बेडेड सुपरस्पेशिलिटी ब्लॉक के विद्युत सब-स्टेशन हस्तांतरण प्रकरण में बरती गई शिथिलता एवं अभियंत्रण विभाग के अभियंताओं के मध्य विरोधाभासों, समन्वय के पूर्ण अभाव और 01 वर्ष तक पत्रावली लंबित रखने के कारणों से संबंधित तथ्यों**	अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय के अंतर्गत 500 बेडेड सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक की विद्युत सेवाओं (एच०टी०/एल०टी० सब-स्टेशन एवं 11 नग डी०जी० सेट्स) के हस्तांतरण के संबंध में कार्यदायी संस्था (उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0) द्वारा सब-स्टेशन कार्य की हस्तांतरण ली गयी इन्वेंट्री सम्बन्धी सहपत्र उपलब्ध कराने संबंधी प्रेषित किये गये के पत्र संख्या 1251 दिनांक 11.12.2025 एवं उक्त विषयक पुनः प्रेषित किये गये पत्र संख्या 21 दिनांक 08.01.2026 के उपरान्त विषम परिस्थिति स्थिति बनी। उक्त पत्रों एवं संबंधित पत्रावलियों के परीक्षण के दौरान यह तथ्य संज्ञान

दीपक वर्मा
कुलसचिव

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति

<table>
<tr>
<td>के अन्वेषण हेतु Fact Finding Committee के गठन के सम्बन्ध में प्रकरण मा0 कार्य परिषद के अवलोकनार्थ प्रस्तुत।</td>
<td>में आए हैं कि अभियंत्रण विभाग के कनिष्ठ अभियंता एवं सहायक अभियंता द्वारा बिना विश्वविद्यालय के सक्षम स्तर के अनुमोदन के इन्वेंट्री हस्ताक्षरित कर दी गई, जिसे कार्यदायी संस्था द्वारा 'औपचारिक हस्तांतरण' का आधार बनाया गया।
• सब–स्टेशन हस्तांतरण की कार्यवाही पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा कार्यालय आदेश संख्या 6046 दिनांक 13.03.2026 के माध्यम से 4 सदस्यीय समिति का गठन किया जा चुका है।
• प्रकरण में अभियंत्रण विभाग के अभियंताओं की कर्तव्य पालन में शिथिलता/शासकीय आदेशों/उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करने, लापरवाही के कारण उपकरणों की वारंटी/DLP/CMC के संबंध में विश्वविद्यालय को होने वाली संभावित वित्तीय हानि का आंकलन कर दोषियों को चिह्नित करने एवं उत्तरदायित्व निर्धारण हेतु Fact Finding Committee के गठन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
• गठित की जाने वाली Fact Finding Committee को कार्यदायी संस्था (उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0) और उपसंविदाकार (मे0 सांई कूलिंग प्वाइंट प्रा0लि0) की भूमिका की भी जांच करने के निर्देश दिये जाने एवं Fact Finding Committee को तकनीकी/संबंधित अन्य विषयों हेतु अपने स्तर से सदस्य (वाह्य/आन्तरिक) सम्मिलित करने हेतु अधिकृत किये जाने का प्रस्ताव किया गया है।
<u>प्रस्ताव</u>: प्रकरण की गंभीरता के दृष्टिगत सक्षम स्तर से दिये गये निर्देश के क्रम में प्रकरण मा0 कार्य परिषद के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2"><u>कार्य परिषद का निर्णयः</u>– मा0 कार्य परिषद उक्त प्रकरण में अब तक की गई कार्यवाही से अवगत हुई तथा Fact Finding Committee की संरचना (1) चिकित्सा अधीक्षक–अध्यक्ष, (2) कुलसचिव के प्रतिनिधि–सदस्य एवं (3) वित्त अधिकारी के प्रतिनिधि–सदस्य; पर सहमति व्यक्त करते हुए Fact Finding Committee को तकनीकी/संबंधित अन्य विषयों हेतु अपने स्तर से सदस्य (वाह्य/आन्तरिक) सम्मिलित करने हेतु अधिकृत किये जाने के संबंध में अनुमोदन प्रदान किया गया। निर्देश दिये गये कि आगामी बैठक में Fact Finding Committee की आख्या से कार्य परिषद को अवगत कराया जाये।</td>
</tr>
<tr>
<td><u>एजेण्डा बिन्दु 15–21</u>
विश्वविद्यालय के ग्रुप 'A' एवं ग्रुप 'B' (पैरामेडिकल) के गैर शैक्षणिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों (चिकित्सक एवं नर्सिंग संवर्ग को छोड़कर) को संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ, के समकक्ष HPCA/PCA अनुमन्य किये जाने के संबंध में।</td>
<td>अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या 57/2024 दिनांक 04–07–2024 तथा संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ के कार्यालय आदेश दिनांक 31–07–2024 एवं 02–07–2025 के माध्यम ग्रुप 'A' एवं 'B' (पैरामेडिकल) के गैर–संकाय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को एम्स, नई दिल्ली के समकक्ष Hospital Patient Care Allowance अनुमन्य किया गया है। Ministry of Health–Family Welfare के आदेश संख्या Z–28015/119/2012 /H दिनांक 18–09–2019 जिसको कि AIIMS New Delhi द्वारा लागू किया गया है।
• विश्वविद्यालय अधिनियम, 2015 की धारा–48 के अनुसार विश्वविद्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतनमान एवं भत्ते संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ के समकक्ष अनुमन्य किए जाने का प्रावधान है।
• वित्त समिति की पाँचवी बैठक दिनांकः 22.01.2026 में एजेण्डा</td>
</tr>
</table>

दीपक वर्मा
कुलसचिव

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति

<table>
<tr>
<td></td>
<td>बिंदु 5.5 के अन्तर्गत प्रस्तुत उक्त प्रस्ताव पर विचार–विमर्श किया गया तथा निर्णय लिया गया कि ग्रुप 'A' एवं 'B' (पैरामेडिकल) के गैर शैक्षणिक कार्मिकों को HPCA/PCA लागू किये जाने विषयक प्रकरण पूर्व से ही शासन में संदर्भित होने के कारण उक्त प्रकरण को पुनः शासन को पत्र प्रेषित कर दिया जाय।

प्रस्ताव– विश्वविद्यालय के ग्रुप ग्रुप 'A' एवं 'B' (पैरामेडिकल) के गैर–शैक्षणिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों (चिकित्सक एवं नर्सिंग संवर्ग को छोड़कर) को संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ के समकक्ष Hospital Patient Care Allowance (HPCA/PCA) अनुमन्य किए जाने के संबंध में वित्त समिति की पाँचवी बैठक दिनांकः 22.01.2026 में एजेण्डा बिंदु 5.5 के अन्तर्गत लिये गये निर्णय के संबंध में मा0 कार्य परिषद प्रकरण शासन को संदर्भित किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान करना चाहें।</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2"><u>कार्य परिषद का निर्णयः–</u> मा0 कार्य परिषद द्वारा प्रकरण शासन को संदर्भित किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">टेबल एजेण्डा (मा0 अध्यक्ष महोदय की अनुमति से)</td>
</tr>
<tr>
<td><u>टेबल एजेण्डा–15.1(T)</u>
डॉ0 मोहित कुमार साही का चयन विश्वविद्यालय के साइक्रेट्री विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर होने पर नियुक्ति के उपरांत निर्धारित समयावधि में योगदान न करने के कारण नियुक्ति पत्र के निरस्तीकरण संबंधी निर्णय को तथा प्रश्नगत प्रकरण मा0 न्यायालय, इलाहाबाद में विचाराधीन होने के संबंध में मा0 कार्यपरिषद को अवलोकनार्थ।</td>
<td><u>प्रस्तावनाः–</u> विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक 23.10.2025 डॉ० मोहित कुमार साही (विभाग– साइक्रेट्री) को असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर नियुक्ति पत्र निर्गत किया गया था। निर्धारित समयावधि में कार्यभार ग्रहण न करने के कारण डॉ० मोहित कुमार साही का नियुक्ति पत्र निरस्त कर दिया गया। तत्पश्चात डॉ० मोहित कुमार साही द्वारा विशेष परिस्थितियों का उल्लेख करते हुए समयावधि विस्तार हेतु पुनर्विचार का अनुरोध प्रस्तुत किया गया है। अतः डॉ0 मोहित कुमार साही का चयन विश्वविद्यालय के साइक्रेट्री विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर होने पर नियुक्ति के उपरांत निर्धारित समयावधि में योगदान न करने के कारण नियुक्ति पत्र के निरस्तीकरण संबंधी निर्णय को तथा प्रश्वगत प्रकरण मा0 न्यायालय, इलाहाबाद में विचाराधीन होने के संबंध में मा0 कार्यपरिषद के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।

<u>पृष्ठभूमिः–</u>
• नियुक्ति पत्र निर्गत होने के उपरांत डॉ० मोहित कुमार साही द्वारा प्रारंभिक रूप से 03 माह के समयावधि विस्तार का अनुरोध किया गया।
• विश्वविद्यालय द्वारा पत्र दिनांक 15.11.2025 के माध्यम से समयावधि 22.01.2026 तक विस्तारित की गई।
• इसके उपरांत डॉ० मोहित कुमार साही द्वारा अतिरिक्त समयावधि विस्तार का अनुरोध प्रस्तुत किया गया।
• निर्धारित विस्तारित अवधि में कार्यभार ग्रहण न करने के कारण नियुक्ति पत्र निरस्त किए गए।
• डॉ० मोहित कुमार साही द्वारा प्रश्नगत प्रकरण के संबंध में मा0 न्यायालय, इलाहाबाद में रिट याचिका दाखिल की गयी है।

<u>नियमः–</u> कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DOP&T), भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 09.08.1995 के अनुसारः–
• सामान्यतः 01–02 माह के भीतर कार्यभार ग्रहण किया जाना अपेक्षित है।</td>
</tr>
</table>

दीपक वर्मा
कुलसचिव

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति

<table>
<tr><td></td><td>• अभ्यर्थी के अनुरोध पर समयावधि विस्तार पर विचार किया जा सकता है।
• 03 माह से अधिक विस्तार सामान्यतः अनुमन्य नहीं है।
• विशेष परिस्थितियों में अधिकतम 06 माह (मूल नियुक्ति तिथि से) तक विस्तार प्रदान किया जा सकता है।
• 06 माह पूर्ण होने पर नियुक्ति पत्र स्वतः निरस्त हो जाता है।
• उल्लेखनीय है कि DOP&T की उक्त व्यवस्था के क्रम में डॉ0 मोहित कुमार साही को छः माह की अवधि दिनांक 22.04.2026 को समाप्त हो गई है।

<u>प्रस्ताव का आधार</u>
• डॉ० मोहित कुमार साही को नियमानुसार विस्तारित समयावधि प्रदान की जा चुकी है।
• निर्धारित अवधि में कार्यभार ग्रहण न करने के कारण नियुक्ति पत्र निरस्त किए गए तथा छः माह की अवधि दिनांक 22.04.2026 को समाप्त हो चुकी है।
• डॉ० मोहित कुमार साही द्वारा प्रश्नगत प्रकरण के संबंध में मा0 न्यायालय, इलाहाबाद में रिट याचिका दाखिल की गयी है।

<u>प्रस्तावः</u>— डॉ0 मोहित कुमार साही का चयन विश्वविद्यालय के साइक्रेट्री विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर होने पर नियुक्ति के उपरांत निर्धारित समयावधि में योगदान न करने के कारण नियुक्ति पत्र के निरस्तीकरण संबंधी निर्णय को तथा प्रश्नगत प्रकरण मा0 न्यायालय, इलाहाबाद में विचाराधीन होने के संबंध में मा0 कार्यपरिषद के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।</td></tr>
<tr><td colspan="2"><u>कार्य परिषद का निर्णयः—</u> मा0 कार्य परिषद उक्त प्रकरण से अवगत हुई।</td></tr>
<tr><td><u>टेबल एजेण्डा—15.2(T)</u>
विश्वविद्यालय में पूर्व में फर्म मे0 टी0सी0एस0 कम्पनी के माध्यम से करायी गयी विभिन्न परीक्षाओं में वित्तीय अनियमितता एवं अन्य संबंधित बिंदुओं की जाँच हेतु गठित जाँच समिति की रिपोर्ट मा0 कार्य परिषद के समक्ष निर्णयार्थ एवं अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु निर्देश के संबंध में प्रस्तुत किया जाना।</td><td>अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय में पूर्व में फर्म मे0 टी0सी0एस0 कम्पनी के माध्यम से करायी गयी विभिन्न परीक्षाओं में वित्तीय अनियमितता जैसे निविदा की वैधता अवधि समाप्त होने के उपरांत फर्म को बिना सेवा विस्तार दिये विश्वविद्यालय में गठित समिति द्वारा बिना अनुबंध संपादित किये तथा बिना Subsequent Agreement के परीक्षायें सम्पादित कराये जाने एवं उक्त के कारण फर्म का भुगतान संभव न होने के प्रकरण की जाँच हेतु कार्यालय आदेश सं0 3961 दिनांक 22 नवम्बर, 2025 के द्वारा 4 सदस्यीय जाँच समिति का गठन किया गया था।
उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि कार्यालय आदेश सं0 4672 दिनांक 30.12.2025 के द्वारा उक्त जाँच समिति में नामित वित्त अधिकारी के स्थान पर चिकित्सा अधीक्षक को नामित किया गया। उल्लेखनीय है कि जाँच समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत कर दी गई है। प्रकरण में अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही हेतु मा0 कार्य परिषद द्वारा कुलपति महोदय को अधिकृत किये जाने का प्रस्ताव है।
<u>प्रस्तावः</u> प्रकरण में गठित जाँच समिति द्वारा सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत रिपोर्ट पर अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही हेतु मा0 कार्य परिषद कुलपति महोदय को अधिकृत करना चाहें।</td></tr>
<tr><td colspan="2"><u>कार्य परिषद का निर्णयः—</u> मा0 कार्य परिषद द्वारा प्रकरण में गठित जाँच समिति द्वारा सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत रिपोर्ट पर अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही हेतु कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया तथा आगामी बैठक में कृत कार्यवाही के संबंध में अवगत कराये जाने की अपेक्षा की गई।</td></tr>
</table>

दीपक वर्मा
कुलसचिव

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति

टेबल एजेण्डा–15.3(T) **विश्वविद्यालय के विज्ञापन सं0 37/UPUMS/Paramedical/Pharmacy/ 2024-25 दिनांक 20.06.2024 के अन्तर्गत की गयी भर्ती प्रक्रिया में प्राप्त शिकायत के क्रम में प्रकरण की जाँच/तथ्यात्मक परीक्षण किये जाने हेतु गठित जाँच समिति की रिपोर्ट मा0 कार्य परिषद के समक्ष निर्णयार्थ एवं अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु निर्देश के संबंध में प्रस्तुत किया जाना।**	अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय के विज्ञापन सं0 37/UPUMS/Paramedical/Pharmacy/2024-25 दिनांक 20.06.2024 के अन्तर्गत की गयी भर्ती प्रक्रिया में शिकायतकर्ता श्री ठाकुर राज सिंह भदावर, ग्वालियर, म0प्र0 से प्राप्त शिकायत के क्रम में प्रकरण की जाँच हेतु कार्यालय आदेश सं0 4371 दिनांक 13 दिसम्बर, 2025 के द्वारा 4 सदस्यीय जाँच समिति का गठन किया गया था। उल्लेखनीय है कि जाँच समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत कर दी गई है। प्रकरण में अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही हेतु मा0 कार्य परिषद द्वारा कुलपति महोदय को अधिकृत किये जाने का प्रस्ताव है। **प्रस्तावः** प्रकरण में गठित जाँच समिति द्वारा सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत रिपोर्ट पर अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही हेतु मा0 कार्य परिषद कुलपति महोदय को अधिकृत करना चाहें।
कार्य परिषद का निर्णयः– मा0 कार्य परिषद द्वारा प्रकरण में गठित जाँच समिति द्वारा सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत रिपोर्ट पर अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही हेतु कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया तथा आगामी बैठक में कृत कार्यवाही के संबंध में अवगत कराये जाने की अपेक्षा की गई।	
टेबल एजेण्डा–15.4(T) **Finalization of the Rules and Regulations of the Ph.D. Programme**	In a meeting of Academic Council on 16 April 2026 with decision to take approval from an external member and to seek approval from the forthcoming Executive Council In compliance with the decision of the Academic Council, the draft was forwarded via email on dated 23/04/2026 to the external member, Dr. Pankaj Kumar Lakhtakia, Professor of Orthopaedics, SS Medical College, Rewa (MP), for approval. The draft has been duly approved by the external member, Dr. Pankaj Kumar Lakhtakia.
कार्य परिषद का निर्णयः– मा0 कार्य परिषद द्वारा Ph.D. Programme हेतु तैयार किये गये Rules and Regulations पर अनुमोदन प्रदान किया गया।	

कुलसचिव/सचिव–कार्य परिषद द्वारा बैठक के अंत में मा0 कार्य परिषद के समस्त सदस्यों के प्रति घन्यवाद ज्ञापित किया गया।

(दीपक वर्मा)
कुलसचिव एवं सचिव–कार्य परिषद,
उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
सैफई, इटावा।

(प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह)
कुलपति एवं अध्यक्ष–कार्य परिषद,
उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
सैफई, इटावा।

कार्य परिषद् की पंद्रहवीं बैठक दिनांक 25.04.2026 (उपस्थिति)

क्र०	नाम	पदनाम	मोबाइल नं० / ई-मेल	हस्ताक्षर
1.	Prof (Dr.) Ajai Singh.	Vice Chancellor UPUMS, Saifai		[illegible]
2.	Dr. Rama Kant Yadav	Pro Vice Chancellor, UPUMS, Saifai	9415181190	RDM
3.	Dr. Alok Kumar	Representative - DGME, UP	—	(online)
4.	Dr. Adesh Kumar	Dean (Faculty of Medicine) & Officiating Registrar, UPUMS, Saifai	—	[illegible]
5.	Dr. Praveen Kumar	Dean (Faculty of Pharmacy) UPUMS Saifai	9897112288 deanpharmacy2015@gmail.com	[illegible]
6.	Dr. Atul Kumar Singh	Dean (Faculty of Dental Sciences), UPUMS, Saifai	9452074574 dr.atul148@gmail.com	Atsingh
7.	Dr. Rajesh Kumar Verma	Professor & Head, Microbiology, UPUMS, Saifai	8477978359 [illegible]@gmail.com	[illegible]

(मेडिकल) यू०पी०यू०एम०एस० कार्य परिषद् की पंद्रहवीं बैठक दिनांक 25.04.2026 (उपस्थिति)

क्र०सं०	नाम	पदनाम	मोबाइल नं० / ई-मेल	हस्ताक्षर
8.	Dr. Shailendra Pal Singh	Professor & Head, General Surgery, UPUMS, Saifai.	9457879726 drspsinghsaifai@gmail.com	
9.	Sri Jagroopan Ram	Finance Officer	—	
10.	Dr. S.N. Shankhwar	Director, IMS, BHU Varanasi	—	Online
11.	Dr. Prashant Gupta	Principal, SNMC, Agra.	—	Online
12.	Mr. Deepak Verma	Registrar, UPUMS, Saifai	—	Online
13.	Prof. Biju Biju	Dean, Faculty of Nursing.	—	Online
14.	Dr. Jitendra Prasad Mathuria	Dean, Faculty of Paramedical Sciences	—	Online
15.	Dr. Sanjay Kala	Principal, GSVM Med. College, Kanpur	—	Online
16.	Dr. Rajesh Kashyap.	Professor & Head, Haematology SGPGI, Lucknow	—	Online